कृषि | विश्लेषण | जल प्रबंधन

कुल पृष्ठ: 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

पौष–माघ 2078, जनवरी 2022

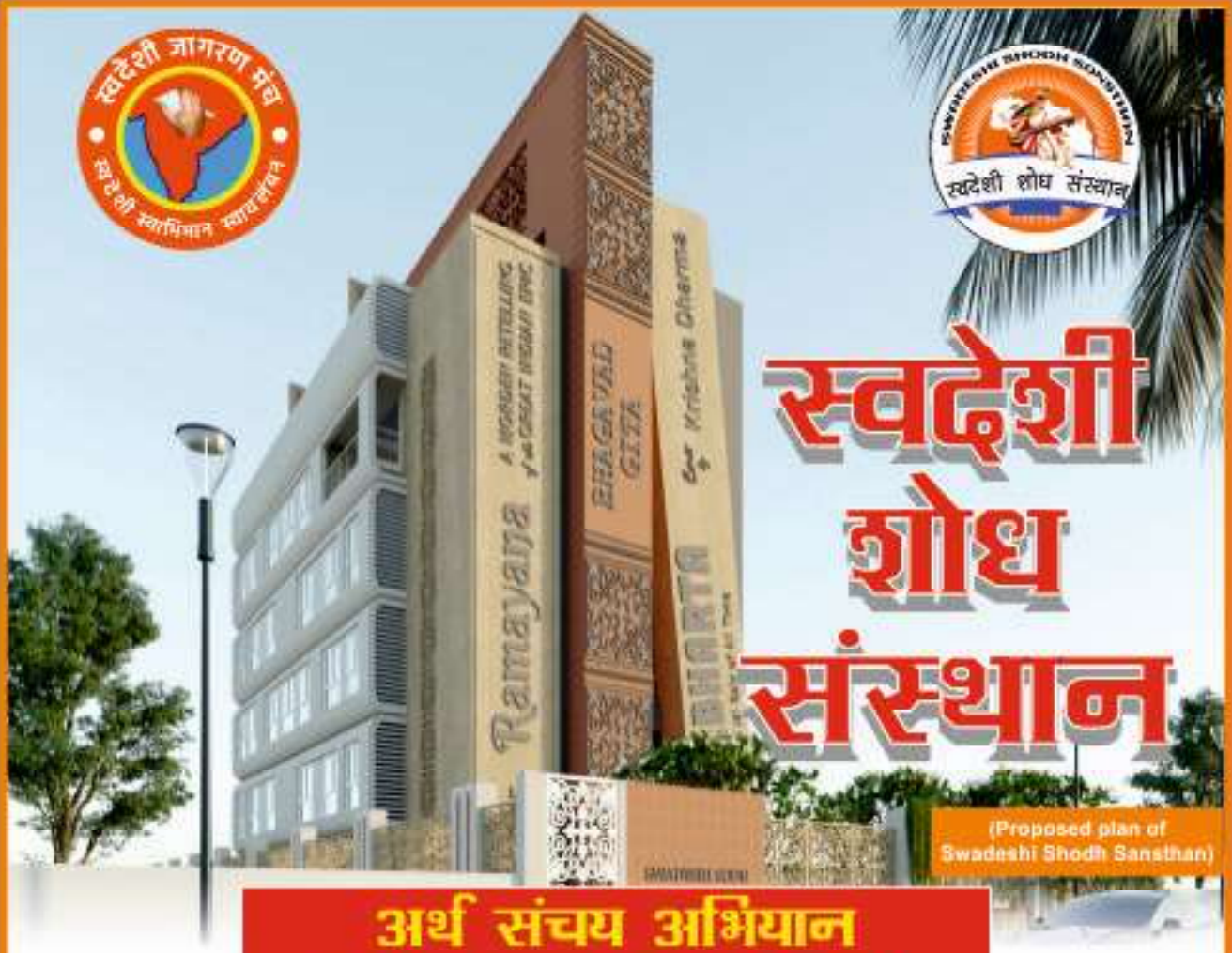

अर्थ संचय अभियान
(Arth Sanchay Abhiyan)

प्रमुख उद्देश्य: स्वदेशी शोध संस्थान, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था को रोजगार केंद्रित बनाना, 100 प्रतिशत रोजगार, 0 (शून्य) प्रतिशत गरीबी रेखा (बी.पी.एल.), 2030 तक भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना (पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए) आदि विषयों पर विभिन्न प्रकार का शोध इस संस्थान में होगा।

Scan and pay with Any UPI App like (BHIM, PayTM, PhonePe, Google Pay etc.)

UPI ID: paysjm@sbi

Swadeshi Jagaran Foundation,
Bank of India,
A/c:- 602510110012706,
IFSC: BKID0006025
Branch:- Malai Mandir, RK Puram, New Delhi

स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–30, अंक–1
पौष–माघ 2078 जनवरी 2022

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा 4
समाचार परिक्रमा 34-38

तृतीय मुख्य पृष्ठ 39
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ 40

अ नु क्र म

आवरण कथा – पृष्ठ–06

स्वदेशी जागरण मंच की 15वीं राष्ट्रीय सभा

स्वदेशी संवाद

1 मुख्य पृष्ठ

2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

15 आर्थिकी
टेक्नॉलॉजी बनाम क्रिप्टो
....अनिल तिवारी

17 आजकल
लापरवाही हुई तो तहलका मचा सकता है ओमिक्रान
....अनिल तिवारी

19 पर्यावरण
जलवायु संकट का सामूहिक नियंत्रण
.... के.के. श्रीवास्तव

21 दृष्टिकोण
काशी, एक लाक्षणिक आयाम...
....डॉ. जया कक्कड

23 युवा दिवस
क्रांतिकारी विचारों का न्यासी एक सन्यासी
....स्वदेशी संवाद

25 कृषि
कृषि सुधारों पर व्यापक बहस व सहमति आवश्यक
.... डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

27 रोजगार
शिक्षा सुधार है रोजगार की कुंजी
....डॉ. भरत झुनझुनवाला

29 वीर बाल दिवस
सिखों के इतिहास का सुनहरा पन्ना है छोटे साहिबजादों का बलिदान
....स्वदेशी संवाद

31 खेतीबारी
निर्मम बाजार भरोसे न छोड़ें किसान को
.... देविन्दर शर्मा

33 जल प्रबंधन
नदी जोड़ो परियोजना
....डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

पाठकनामा

महामारी के विकराल प्रकोप से कैसे बचे जनता

देश में कोरोना की दूसरी लहर से हुई धन से अधिक जन की हानि से अभी उबर ही रहा था कि ओमीक्रोन नाम के एक नए वेरिएंट ने अपना पूर्व के वायरस से कई गुना अधिक फैलने वाली क्षमता के साथ दस्तक दे दिया है। रोजी–रोटी की जुगाड़ में गाँव से महानगरों की तरफ कामगर जनता ने लगभग अपना झोला उठाकर चल दिया था। आजादी का अमृत महोत्सव और सौ करोड़ वैक्सीन लगाकर दुनिया के रिकार्ड को पीछे करता हुआ यह देश मोबाइल से पहले फोन लगाने पर वैक्सीन लगवाने की सलाह देता रहा। इस बीच यह भूल ही गया कि सावधानी हटने पर इसका विस्तार भी हो सकता है। अकेले यदि राजधानी दिल्ली की बात करें तो अठारह वर्ष से ऊपर को लगभग शत प्रतिशत टीकाकरण करवानें का श्रेय मुख्यमंत्री विज्ञापन के माधायम से वाह–वाही बटोरते दिखाई दिये। अब तो अठारह से कम वर्ष के बच्चों को टीकाकरण के साथ साठ वर्ष से ऊपर बुस्टर डोज लगवाते हुए लोग सोशल मीडिया पर शेयर करते देखे जा रहे हैं।

हाल ही के कुछ प्रदेशों में चुनावी रैलियों को संबोधित करते देश के नेता मंत्री और उनकी भीड़ को देखते हुए यह लगने लगा था कि शायद अब तीसरी लहर आने वाली नहीं है। धीरे–धीरे कई उच्च नेता, मंत्रियों के संक्रमण की खबर से देश में दहशत का माहौल हो गया है। इसी बीच कुछ राजधानी के प्रमुख द्वारा तुगलकी फरमान से ओमीक्रोन को बढ़ाने में और भूमिका कही जा सकती है। जैसे कम ओमीक्रोन मरीजों के होने पर बसों मेट्रो में पचास प्रतिशत के साथ और बढ़ने पर यह दुहाई की जनता परेशान है कोई विकल्प नहीं है के आधार पर सिटिंग मात्रा की अनुमति साप्ताहिक बाज़ारों को लगाने की अनुमति को किस रूप में देखा जा सकता है। जब देश में ओमीक्रोन बढ़ रहा है ऐसे में डॉक्टरों की हड़ताल एम सीडी की वेतन समय से न मिलने की हड़ताल से जन–जीवन अस्त–व्यस्त रहा ऐसे में मुख्यमंत्री जी रैलियाँ करते देखे गए। बात यह है की अगर समय से वेतन मिलता तो काम समय से करते डॉक्टर, कर्मचारी जीवन प्रत्याशा को बढ़ा सकते थे। अगर ऐसी जबाबदेही से बचने के लिए यह कह देना कि हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते है इससे बेरोजगारी, भुखमरी फैलेगी तो शायद इससे अच्छा होता की चुनावी घोषणा से ज्यादा राजधानी की जनता के बारें में सोचा जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में जब महामारी के विकराल प्रकोप से बच पाती हमारी जनता जिससे है देश।

डॉ. पराक्रम सिंह, धुधुरी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

laikndh;dk;kZy;

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन तब होता है जब उन्हें राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है।

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

भारत के कद, भौगोलिक स्थिति और देश के सामने मौजूद सुरक्षा चुनौतियों के कारण, हम रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। हम सब इस सच्चाई को समझते हैं।

राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, भारत सरकार

सेमीकंडक्टर नीति की सरकार की घोषणा से बहुत प्रसन्न हैं। यह बहुत व्यापक और सभी पहलुओं को शामिल करता है। सेमीकंडक्टर मिशन प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गेम चेंजर साबित होगा।

अजय चौधरी, संस्थापक, एचसीएल व चैयरमेन, आईआईटी पटना

चीनी कंपनियों का निवेश भारत और भारतीय लोगों के साथ–साथ भारतीय उद्योगों के लिए भी बड़ा खतरा है।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

डब्ल्यूटीओ में ट्रिप्स से छूट क्यों है जरूरी?

पिछले 2 वर्षों से मानवता कोरोना नाम की एक भयंकर महामारी से गुजर रही है, जिसका अंत निकट भविष्य में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस महामारी का अंत होना तो दूर, यह दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं लहर के रूप में पहले से और बदतर होती जा रही है। पिछले कुछ सप्ताहों से इस बीमारी का एक अन्य प्रकार ओमीक्रॉन सिर उठा रहा है, जिसके चलते पूरी दुनिया में एक भय का वातावरण बना हुआ है। मानवता के समक्ष केवल यह बीमारी ही नहीं है, बल्कि इससे बचाव हेतु विश्व के एक बड़े हिस्से में टीकाकरण का अभाव और बीमारी हो जाने की दशा में महंगी दवाईयां और इलाज किसी दुःस्वपन से कम नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वैक्सीन की उपलब्धता और बीमारी होने की दशा में सस्ती दवाईयां और इलाज मनावता के बचाव के लिए एक जरूरी शर्त है।

गौरतलब है कि कोरोना की तमाम दवाईयां और इलाज के उपयोगी आवश्यक उपकरणों पर कंपनियों के पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार हैं। साथ ही साथ कोरोना की वैक्सीन हेतु फार्मूलों और कच्चे माल पर भी कंपनियों का नियंत्रण है। भारत में सरकार की सजगता, वैज्ञानिकों के प्रयासों और कोरोना योद्धाओं की कड़ी मेहनत के कारण भारत न केवल इस महामारी से जूझने में शेष दुनिया से बेहतर रहा है, लगभग 142 करोड़ टीकाकरण के बाद देश की वयस्क जनसंख्या में से 65 प्रतिशत को दोहरी खुराक और लगभग 80 प्रतिशत को कम से कम एक खुराक मिल चुकी है। लेकिन शेष दुनिया इतनी भाग्यशाली नहीं है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां अभी भी टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। महंगी दवाएं और इलाज इन देशों के गरीब लोगों के लिए मौत के पैगाम से कम नहीं है। पिछले वर्ष अक्टूबर माह में भारत और दक्षिण अफ्रीका की ओर से विश्व व्यापार संगठन में व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) से छूट हेतु एक मांग रखी गई थी, ताकि विश्व में वैक्सीन और कोरोना की दवाएं समानता के आधार पर पूरी मानवता को उपलब्ध हो सकें। भारत और दक्षिण अफ्रीका की इस मांग को 100 मुल्कों से भी ज्यादा का समर्थन प्राप्त हुआ। हालांकि पहले अमरीका इसका विरोध कर रहा था, बाद में उसने अपने रूख को बदला और केवल वैक्सीन हेतु ट्रिप्स से छूट का समर्थन किया। लेकिन यूरोपीय समुदाय के देश लगातार इसका विरोध ही करते रहें है और अपनी सहमति देने से पूर्व कई शर्ते रख रहे हैं।

जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में 30 नवंबर से 03 दिसम्बर के बीच विश्व व्यापार संगठन का प्रस्तावित मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में इस हेतु निर्णय की संभावना थी, लेकिन कोरोना महामारी के विस्तार के कारण स्थगित कर दिया गया है। ओमीक्रोन के खतरे के कारण अब पूरी दुनिया में फिर से यह चिंता व्याप्त हो गई है कि क्या मानवता बिना वैक्सीन और इलाज के दम तोड़ देगी, या इस हेतु कोई फैसला जल्द हो सकेगा। माना जा रहा है कि यदि समय रहते भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव के अनुसार ट्रिप्स में से छूट मिल जाती तो उससे दुनिया भर में टीकाकरण की गति को कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ाया जा सकता था।

ओमीक्रोन आने के बाद आज भारत और दक्षिण अफ्रीका की मांग के अनुसार ट्रिप्स से छूट का महत्व और अधिक बढ़ गया है। हालांकि कई लोग यह भी तर्क दे रहें हैं कि भारत अपनी सम्पूर्ण जनसंख्या का टीकाकरण करने में सक्षम है और वह जल्द ही सभी को टीकाकरण के उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा और बहुत सी कंपनियां पहले से ही स्वेच्छा से अपनी पेटेंटशुदा दवाईयों के स्वैच्छिक लाईसेंस भारत की कंपनियों को दे चुकी हैं, इसलिए भारत के लिए ट्रिप्स से छूट का अब कोई खास महत्व नहीं है। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि भारत ने अच्छी प्रभावशील वैक्सीन स्वयं ही काफी बड़ी मात्रा में निर्मित कर ली हैं, वह भी इसका लाभ उठाकर दुनिया भर को उसे बेचने का कार्य कर सकता है, क्योंकि इस वैक्सीन के बौद्धिक संपदा अधिकार भारत के पास ही हैं।हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका की ट्रिप्स से छूट की मांग उनके अपने देशों के लिए ही नहीं थी बल्कि पूरी मानवता के लिए थी। यदि यह तर्क मान भी लिया जाए कि भारत में कुछ विदेशी कंपनियों ने कोरोना के इलाज हेतु आवश्यक दवाओं के स्वैच्छिक लाइसेंस भारतीय कंपनियों को दिए हैं, लेकिन उनकी कीमत अभी भी काफी अधिक है, क्योंकि यदि ट्रिप्स के प्रावधानों से छूट मिले तो इन दवाओं को और अधिक सस्ता बनाया जा सकता है और गरीब जनता को उनके इलाज में सुविधा दी सकती है। यही नहीं स्वैच्छिक लाईसेंस की शर्तों के अनुसार भारत की कंपनियां इन दवाओं को बनाकर भारत में ही बेच सकती हैं।

ऐसे में माना जा रहा है कि स्वैच्छिक लाईसेंस देने पर भी दुनिया की आधी आबादी को ये दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, जो मानवता के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। वास्तव में ट्रिप्स छूट में देरी विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौते और जनस्वास्थ्य के संदर्भ में दोहा घोषणा की भावना के भी खिलाफ है। इसलिए स्वैच्छिक लाईसेंस अनिवार्य लाईसेंस का कोई विकल्प नहीं है।

आज दुनिया में एक विशेष प्रकार का रंगभेद भी जन्म ले रहा है और वो भेद है टीकाकरण से युक्त और टीकाकरण से वंचित के बीच का भेद। हाल ही में जो मंत्रीस्तरीय सम्मेलन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में होने वाला था, उसमें भी यह शर्त रखी गई थी कि वहीं लोग इसमें भाग ले पाएंगे जिनका विश्व स्वास्थ्य द्वारा प्रमाणित वैक्सीन के साथ टीकाकरण हो चुका होगा। यानि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अब ऐसे मुल्कों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा, जिनके प्रतिनिधि टीकाकरण युक्त नहीं होंगे।

ऐसे में समय की मांग है कि अमरीका, यूरोप सहित सभी अमीर मुल्कों, जो ट्रिप्स से छूट की मांग का विरोध करते हुए मानवता को खतरे में डालने का कार्य कर रहे हैं, उनका हर मंच पर बहिष्कार हो। प्रेस, मीडिया, बुद्धिजीवी सभी लोग मिलकर ऐसा वातावरण निर्माण करें कि ये देश ट्रिप्स में छूट हेतु अपनी सहमति दें। मनावता को बचाने हेतु यही एक मात्र रास्ता है।

15वीं राष्ट्रीय सभा

ग्वालियर, मध्य प्रदेश

स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय सभा, दिनांक 24–26 दिसंबर, 2021 को लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अखिल भारतीय संयोजक माननीय आर. सुन्दरम जी ने कहा कि मंच के पिछले वर्ष में कोरोना जैसे विपत्ति के काल में भी स्वदेशी जागरण मंच का कार्य अविरल रूप से चलता रहा। इस काल अवधि में स्वदेशी स्वावलंबन अभियान चलाकर 14 लाख लोगों तक पंहुच बनाई। पेटेंट मुक्त वैक्सीन एंव सर्व सुलभ टीकाकरण अभियान चलाया जिसमें विश्वभर के 40 देशों से समर्थन प्राप्त हुआ तथा इस अभियान के अंतर्गत देशभर में 14 लाख से अधिक लोगों से डिजिटल हस्ताक्षर करवाए।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में स्वामी ऋषभ देवानंद जी महाराज (संस्थापक श्रीकृष्णायन देशी गौशाला), श्रीमती किरण चौपड़ा (प्रबंध निदेशक, पंजाब केसरी), मा. भागैय्या जी (पूर्व सह सरकार्यवाह, रा.स्व.संघ), श्री आर. सुन्दरम (अ. भा. संयोजक), श्री कश्मीरी लाल (अ.भा. संगठक), श्री अरुण ओझा, डॉ अश्वनी महाजन, श्री अजय पत्की, श्री धनपतराम अग्रवाल (अ.भा. सह संयोजक), श्रीमती अमिता पत्की (अखिल भारतीय महिला प्रमुख), श्री जितेन्द्र गुप्त (पूर्व अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती), प्रो. विवेक पाण्डेय (कुलपति, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षण संस्थान) एवं प्रो. एस. के. राम (कुलपति कृषि विश्वविद्यालय) उपस्थित रहे।

सत्र (1) उद्घाटन सत्र – 24 दिसंबर, 2021

बैठक के प्रथम सत्र का शुभारम्भ अखिल भारतीय अधिकारियों एवं अन्य सहभागियों के परिचय के साथ हुआ। बैठक में सम्पूर्ण भारत वर्ष से 41 प्रांतों से 365 (अ.भा. अधिकारी, क्षेत्र अधिकारी, प्रान्त अधिकारी, विभाग व सह विभाग संयोजक) कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही।

पंजाब केसरी की प्रबंध निदेशक किरण चोपड़ा ने कहा कि स्वदेशी के मूल में मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान है, ये उद्योग जितना अधिक प्रगति करेंगे, देश भी उतना ही अधिक सशक्त होगा।

श्रीकृष्णायन देशी गौशाला के संस्थापक स्वामी ऋषभ देवानंद जी महाराज ने बताया कि उन्होंने श्रीकृष्णायन देशी गौशाला की स्थापना इसी उद्देश्य से की, जिससे देशी गाय की रक्षा एवं संवर्धन हो सके।

कार्यक्रम के मध्य में सुश्री वान्या महेश्वरी ने स्वदेशी गीत प्रस्तुत किया। इसी सत्र में श्री सतीश कुमार (अ.भा. सह संगठक), एवं डॉ. आर.के. मित्तल (कुलपति सी.बी.एल.यू. विश्वविद्यालय) द्वारा लिखित पुस्तक **पुनः बनाएं भारत महान** एवं एक अन्य पुस्तक **'स्वदेशी मूवमेंट ऑफ़ भारत'** जिसका संपादन श्री मनोनीत दलाल (सहयोगी निशा पुजारा) ने किया, का भी विमोचन हुआ।

प्रस्ताव – 1

पर्यावरण

पर्यावरण की व्यापक परिभाषा हम सभी के लिए सामान्य भौतिक परिवेश है, जिसमें वायु, अंतरिक्ष, जल, भूमि, पौधे और वन्य जीवन शामिल हैं। इस शब्द में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर इसके प्रभाव से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं। यह हमारी संस्कृति या जीवन के तरीके को भी संदर्भित करता है जो मानव व्यवहार और हमारे उपभोग पैटर्न को प्रभावित करता है।

हमारे संविधान ने पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए राज्य पर दायित्व भी डाला क्योंकि प्रदूषण रहित वातावरण में रहना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। भारत सरकार ने तदनुसार अधिनियमित किया है। वनों की कटाई सहित पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रदूषण और कास्ट कर्तव्यों के खिलाफ कई पर्यावरण कानून।

यद्यपि सतत विकास शब्द के बारे में बहुत चर्चा की जाती है, लेकिन वास्तविक जोर सतत खपत पर होना चाहिए क्योंकि विकसित और समृद्ध देशों द्वारा उपभोग की आड़ में संसाधनों की भारी मात्रा बर्बाद कर दी जाती है और उन्होंने वातावरण में भारी CO_2 उत्सर्जित किया है और अब कोशिश कर रहे हैं दोष को स्थानांतरित करने और हमारे जैसे विकासशील देशों पर उत्सर्जन को कम करने के लिए। भारतीय संस्कृति ने हमेशा उपभोग में संयम और तर्कसंगतता का समर्थन किया है। इसलिए जीवनशैली में बदलाव और उन कुछ विकसित देशों को दंडित करने की आवश्यकता है जो तर्कहीन और फिजूलखर्ची के लिए जिम्मेदार हैं।

पर्यावरण के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं: ● ग्लोबल वार्मिंग ● ओजोन परत का अवक्षय ● वर्षा वन की सुरक्षा ● जंगली जीवन और पशु प्रजातियों को बचाने के प्रयास ● CO_2 उत्सर्जन सहित खतरनाक पदार्थों का नियंत्रण ● अपशिष्ट प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ● जैव विविधता ● पौधों की प्रजातियाँ और स्वदेशी लोगों की जीवन शैली ● पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा ● वनों की कटाई ● पानी की बाढ़ ● अकाल ● जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान पर हाल की आईपीसीसी रिपोर्ट के संदर्भ में विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों के लिए चक्रवात और खतरे।

ग्लोबल वार्मिंग का हमारे पर्यावरण पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है जिसका हम इन दिनों सामना कर रहे हैं। और यह पिछली शताब्दी के दौरान पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक होने का एक कारण यह है कि यह ग्रह की समग्र पारिस्थितिकी को परेशान करता है।

इस दशक में ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव व्यापक रूप से देखा जा रहा है।

ग्लेशियर पीछे हटना और आर्कटिक सिकुड़न दो सामान्य घटनाएं हैं ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। समुद्र के स्तर में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ आ रही है। कई देशों में चरम मौसम की स्थिति देखी जाती है। बेमौसम बारिश, अत्यधिक गर्मी और ठंड, जंगल की आग और अन्य हर साल आम हैं। इन मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यह वास्तव में कई प्रजातियों के विलुप्त होने का परिणाम लाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित करेगा।

ग्लोबल वार्मिंग के सबसे स्पष्ट कारण औद्योगीकरण, शहरीकरण और वनों की कटाई हैं। इन मानवीय गतिविधियों ने ग्रीनहाउस के उत्सर्जन में वृद्धि की है, जिसमें CO, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और अन्य शामिल हैं। इसी तरह, ज्वालामुखी भी ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जा रहे हैं क्योंकि वे हवा में बहुत अधिक CO, उगलते हैं। CO_2 उत्सर्जन का बड़ा हिस्सा जीवाश्म ईंधन के जलने से होता है, जिसका उपयोग बिजली, परिवहन सामान और हमारे घरों और कारखानों को बिजली देने के लिए किया जाता है।

IPCC AR-6 रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 में वार्षिक CO_2 उत्सर्जन 36.4 गीगाटन (GT) तक पहुंच गया है जिसे 2030 तक 18.22 GT तक लाने की आवश्यकता है। चीन, अमेरिका और EU–27 वर्तमान में दुनिया के 36.44 $GtCO_2$ का 50 प्रतिशत से अधिक उत्सर्जित करते हैं। आने वाले दशक में चीन द्वारा CO_2 उत्सर्जन में अपना हिस्सा 10 Gt/CO_2 से बढ़ाकर 12 GT/CO_2 सालाना करने की संभावना है। अफ्रीका और भारत विश्व की आबादी का 17 प्रतिशत (प्रत्येक) केवल 4 प्रतिशत और 7 प्रतिशत योगदान करते हैं। इसलिए, उत्सर्जन और एनडीसी के वर्तमान स्तर में द्विभाजन है। वैश्विक CO_2 बजट में भारत का हिस्सा लगभग 3 प्रतिशत है जो चीन का सिर्फ एक तिहाई है। इस प्रकार इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि पुरानी औपनिवेशिक मानसिकता पर्यावरण की नई तकनीक के लिए नया बाजार बनाने और विकासशील देशों में उनके निवेश के नए अवसर पैदा करने के लिए काम कर रही है। इसलिए भारत ने सही ढंग से जोर दिया है और अपने साहसिक हस्तक्षेप के माध्यम से, कोयले को चरणबद्ध रूप से चरणबद्ध करने के निर्णय को बदल दिया है और इस प्रकार 500 गीगावाट का उत्पादन करके 2030 तक 50 प्रतिशत की सीमा तक नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पादन के लिए आगे की प्रतिबद्धताओं के साथ ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

कार्बन न्यूट्रल की मांग भी अस्पष्ट है। चीन और रूस ने 2060 में शुद्ध शून्य और 2070 तक भारत के लिए प्रतिबद्ध किया है। अधिकांश विकसित देशों ने कार्बन तटस्थ बनने के लिए 2050 के लिए प्रतिबद्ध किया है।

सीओपी–26 ने 1850–1900 के पूर्व–औद्योगिक युग के बारे में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के भीतर पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि विकसित देशों को कार्बन अर्थव्यवस्था से हरित अर्थव्यवस्था में संक्रमण के लिए अनुकूलन और शमन लागत के लिए सालाना 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की न्यूनतम सहायता प्रदान करने

⑩

की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहिए।

स्वदेशी जागरण मंच की मांग है कि इस न्यूनतम मुआवजे को बढ़ाकर 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर किया जाना चाहिए क्योंकि विकसित देश विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप विकासशील देशों में रहने वाले लोगों को पीड़ित करने के लिए असली दोषी हैं। मंच कार्बन बाजार में सुधार और कार्बन क्रेडिट की कीमतों में पारदर्शिता की भी मांग करता है।

स्वदेशी जागरण मंच भारत सरकार से भूजल के पुनर्जनन, हिमालय में कई निर्माण कार्यों को रोकने, जिससे भूस्खलन हो रहा है, कचरे का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की मांग करता है।

हालांकि पर्यावरण संबंधी खतरों की चिंता वैश्विक स्तर पर स्टॉकहोम में 1972 में पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बाद से और उसके बाद 1982 में नैरोबी में, 1992 में रियो अर्थ शिखर सम्मेलन के बाद क्योटो प्रोटोकॉल और फिर पार्टियों के एक अनुष्ठान वार्षिक सम्मेलन के साथ पेरिस समझौते पर चर्चा की जा रही है।

यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में हमारे वैदिक साहित्य में सम्मान और प्रकृति की पूजा के बारे में कई संदर्भ हैं। यहां तक कि वनों की कटाई के खिलाफ पहला आंदोलन राजस्थान में जोधपुर की शहीद अमृता देवी द्वारा 28 अगस्त 1730 को शुरू किया गया था और इसलिए एसजेएम ने 28 अगस्त को 5 जून के साथ राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ❑

अ.भा. सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने वैश्विक स्तर पर बनी उन आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला, जिन्हें पश्चिमी देशों द्वारा प्रगतिशील देशों पर प्रभुत्व जमाने हेतु लागू करने के षडयंत्र हुए एवं जिनको भांपकर राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगडी जी ने 22 नवम्बर 1991 को स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की।

सत्र के अंत में श्री साकेत सिंह राठौड़ ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

सत्र (2) 24 दिसंबर, 2021

मुख्यवक्ता के रूप में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक श्री सतीश कुमार ने स्वावलंबी भारत अभियान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हमें भारत को स्वावलंबी बनाना है, इसी कारण इस अभियान का नाम भी स्वावलंबी भारत अभियान रखा गया है। अभियान के तीन उद्देश्य हैं – (1) भारत को शून्य बीपीएल पर लाना। (2) युवा शक्ति को संपूर्ण रोजगार। (3) पर्यावरण की रक्षा करते हुए देश को 10 ट्रिलियन इकॉनामी बनाना।

आपने बताया कि 1000 वर्ष पूर्व भारत कृषि आधारित आर्थिक महाशक्ति था। उस समय विश्व की जीडीपी में भारत का योगदान 32 प्रतिशत हुआ करता था। भारत के सभी लोग रोजगारयुक्त ही रहते थे तथा उस समय किसी ने बेरोजगारी का नाम तक नहीं सुना था परन्तु समय के साथ भारत पर आक्रान्ताओं एवं अंग्रेजों का शासन हुआ, जिसके कारण भारत आर्थिक क्षेत्र में पिछडता चला गया और आज देश के समक्ष बेरोजगारी एक बड़ी समस्या के रूप में खड़ी है।

अपनी शक्ति को पहचानकर तथा विश्व की सर्वोच्च युवा शक्तियुक्त देश के रूप में अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का उपयोग कर, हम पुनः वैश्विक आर्थिक महाशक्ति का शिखर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें निम्न बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित करना होगा–

(1) भारत में सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं, जो गलत है। रोजगार की पूरी परिभाषा बिना सभी रोजगार के सेक्टर के अधूरी है। (2) बेरोजगारी का प्रमुख कारण है– जीडीपी को आधार मानकर चलना। अतः बजट रोजगार आधारित होना चाहिए, न कि जीडीपी आधारित। (3) हर देश को अपनी ताकत पहचाननी चाहिए, भारत की सर्वोच्च युवा शक्ति भारत की ताकत है। (4) भारत को अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को एनकैश करना। (5) सरकार मुक्त व्यापार समझौते सोच समझकर करे तथा वहीं समझौते करे जो देश के लिए हितकारी हों। (6) विकेंद्रीकरण से रोजगार सृजन–जिला केन्द्रित अर्थव्यवस्था। (7) उद्यमता ही समाधान– इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। (8) रोजगार सृजन एक सामाजिक एवं आर्थिक अभियान।

श्री सतीश कुमार ने कहा कि नौकरी की मानसिकता मनुष्य के शारीरिक और बौद्धिक स्तर को शिथिल करती है, जबकि उद्यमिता मनुष्य को क्रिएटिव बनाती है।

सत्र के अंत में श्री अजय पत्की ने अर्थ एंव रोजगार सृजन पर प्रकाश डालते हुए अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दिया। मंच संचलन श्री मंजुनाथ ने किया।

सत्र (3) 24 दिसम्बर, 2021

सत्र के आरम्भ में दक्षिण क्षेत्र का वृत निवेदन श्री महेश, दक्षिण मध्य का वृत निवेदन श्री मंजूनाथ तथा पश्चिम क्षेत्र का वृत निवेदन रमेश दवे ने किया।

श्री धनपतराम अग्रवाल ने प्रथम प्रस्ताव 'पर्यावरण' पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ग्लोबल वार्मिंग, डिपलिशन ऑफ़ ओजोन लेयर, रेन फारेस्ट का ख़त्म होना, जंगलों का ख़त्म होना, जंगली जानवरों और वनस्पतियों पर खतरा, मीथेन गैस की अधिकता, क्लाइमेट रिफ्यूजी और ग्लेशियर का पिघलना जिसके कारण समुद्र का स्तर बढ़ना आदि है, जिससे कारण गंभीर प्राकृतिक एवं मानवीय समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। इस हेतु समग्र विश्व को प्रयास करने की आवश्यकता है।

प्रस्ताव – 2

प्रौद्योगिकी हाँ, क्रिप्टो ना

हाल ही में, सरकार ने 'क्रिप्टो मुद्रा और राजकीय डिजिटल मुद्रा विधेयक 2021' की शुरूआत की घोषणा की है। यह स्पष्ट है कि सरकार निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने का इरादा रखती है और भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल मुद्रा जारी करने की योजना है। हालाँकि, सरकार ने इन क्रिप्टोकरेंसी के तहत प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ छूट देने का भी संकेत दिया है।

हालांकि, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक क्रिप्टो में व्यापार को प्रतिबंधित करने के पक्ष में रहे हैं, लेकिन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि चूंकि सरकार ने कानूनी रूप से क्रिप्टोक्यूरैंसीज पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, रिज़र्व बैंक का बैंकों को क्रिप्टो हेतु मना करने संबंधी निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही क्रिप्टो एक्सचेंजों ने बड़े पैमाने पर क्रिप्टोकरेंसी का कारोबार शुरू कर दिया है। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान है कि लगभग 20 मिलियन लोगों ने अपना पैसा क्रिप्टोकरेंसी में लगाया हुआ है। छोटे और बड़े शहरों, और यहां तक कि गांवों के लोग (ज्यादातर युवा) इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इसमें अपना पैसा लगाकर जल्दी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

स्वदेशी जागरण मंच का दृढ़ विश्वास है कि –

1. क्रिप्टो को करैंसी कहना ही गलत है। करैंसी का अभिप्राय है सरकार की गारंटीशुदा, केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा। क्रिप्टो करंसी निजीतौर पर जारी आभासी सिक्के हैं, जिनकी कोई वैधानिक मान्यता नहीं है।
2. क्रिप्टो का उपयोग अपराधियों, आतंकवादियों, स्मगलरों, हवाला में संलग्न व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में पूरी दुनिया में एक कम्प्यूटर वायरस के माध्यम से जब साइबर अपराधियों ने कई कंपनियों का डाटा उड़ा दिया और उसे वापिस देने के लिए फिरौती बिटकॉयन में मांगी गई, तो बिटकॉयन के आपराधिक इस्तेमाल के बारे में दुनिया की जानकारी बढ़ी।
3. चूंकि यह एक ऐसी मूल्यवान आभासी संपत्ति है, जिसके धारक को तो उसका पता होता है, लेकिन किसी भी अन्य को इसका पता तभी चलता है, जब इसमें बैंक के माध्यम से लेनदेन होता है। हालांकि इसके लेनदेन को घोषित करने के बाद इस पर आयकर लगाया जा सकता है, लेकिन यदि इसकी बिक्री देश में न कर, विदेश में की जाए तो उस पर कर नहीं लगेगा। वास्तव में क्रिप्टो एक वैधानिक संपत्ति नहीं है, इसे किसी कंपनी या व्यक्ति की बैलेंसशीट में नहीं दिखाया जा सकता। यानि क्रिप्टो आयकर, जीएसटी एवं अन्य कई प्रकार के करो की चोरी का माध्यम बन रही है। एक और समस्या यह है कि नियमों को दरकिनार कर देश से पूंजी स्थानांतरित करने का यह सबसे सुविधाजनक तरीका है।
4. बिटकॉयन तथा अन्य प्रकार की क्रिप्टो करैंसियों की कीमत में लगातार हो रहे उतार–चढ़ाव और उनकी लगातार बढ़ती मांग के कारण बढ़ती कीमत के कारण युवा इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। बड़ी मात्रा में देश का धन इसमें लगाया जा रहा है। यह एक अंधे कुएं की तरह है, क्योंकि ये पैसा कहां जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं। कल्पना करें कि यदि यह पैसा यदि देश के विकास में लगे, हमारे युवा उद्योग धंधे में लगाएं तो हमारी जीडीपी में खासा फायदा हो सकता है। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से देश में पूंजी निर्माण कम हो रहा है। यदि इस प्रकार की आभासी तथाकथित संपत्ति में पैसा लगाने की प्रवृत्ति बढ़ी तो यह निवेश और अधिक कम हो सकता है।
5. क्रिप्टो के खिलाफ एक बड़ा तर्क यह है कि इसकी मायनिंग में बड़ी मात्रा में बिजली खर्च होती है, जिससे बिजली की कमी झेलनी पड़ सकती है। चीन द्वारा क्रिप्टो को प्रतिबंधित करने में यह सबसे बड़ा तर्क दिया गया है।

स्वदेशी जागरण मंच की यह राष्ट्रीय सभा मांग करती है कि:

1. सरकार भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रिप्टो मुद्राओं की खरीद, बिक्री, निवेश और अन्यथा लेनदेन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाये। इस मांग के पक्ष में तर्क हैं:

क) क्रिप्टो में कोई अंतर्निहित परिसंपत्ति नहीं है।
ख) जारीकर्ता पहचान योग्य नहीं है।
ग) क्रिप्टो मुद्रा की मान्यता से भारी अटकलें लग सकती हैं जो वित्तीय बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं और
ड) मान्यता के परिणामस्वरूप इसके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक का वित्तपोषण भी हो सकता है।
ण) इसका परिणाम पिछले दरवाजे से पूंजी खाता परिवर्तनीयता में होगा।

2. बिटकॉइन, एथेरियम आदि जैसी क्रिप्टोकरेंसी को 'एसेट' या 'डिजिटल एसेट' के रूप में भी मान्यता नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह परोक्ष रूप से मुद्रा की तरह एक्सचेंज का माध्यम बन जाएगा। यह इस कारण से है कि भूमि, सोना और शेयरों जैसी अन्य संपत्तियों के विपरीत, 'क्रिप्टो–परिसंपत्तियों' में विभाज्यता और सुवाह्यता की विशेषताएं होती हैं और विनिमय का

⑩

एक स्वीकृत माध्यम बनने की संभावना होती है, और इस प्रकार एक क्रिप्टो–मुद्रा होने की ओर बढ़ती है।

3. क्रिप्टो मुद्रा रखने वाले व्यक्तियों को आयकर विभाग को सूचना प्रस्तुत करने के प्रावधान के अधीन थोड़े समय के भीतर इसे बेचने या विनिमय करने की अनुमति दी जा सकती है।
4. सरकार वर्तमान में प्रचलन में क्रिप्टो–मुद्राओं या क्रिप्टो–परिसंपत्तियों की खरीद, बिक्री या अन्यथा लेनदेन के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाये।
5. प्रतिबंध की अवहेलना करने पर व्यक्ति/संस्था को वित्तीय दंड का प्रावधान हो।
6. ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को केवल क्रिप्टो करेंसी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बल्कि आर्थिक या सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में इस तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
7. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के साथ–साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को क्रिप्टो मुद्राओं पर प्रतिबंध के संबंध में आक्रामक उपभोक्ता जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और सलाह दी जानी चाहिए कि तथाकथित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों द्वारा प्रसारित किए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों का शिकार न हों, विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 के छोटे शहरों में।
8. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) जारी करने से संबंधित कानून जल्दी से तैयार किया जाए।
9. सीबीडीसी को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता हो। ❑

डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा द्वितीय प्रस्ताव 'क्रिप्टोकरेंसी' पर प्रस्तुत किया गया। महाजन ने बताया कि यह एक ऐसी कंप्यूटेड मुद्रा है जिसमें न तो सरकार और न ही इन्वेस्टर को यह पता कि इसमें निवेश कहां, कैसे और किसके पास जा रहा है, परन्तु फिर भी इसका चलन टियर–2 और टियर–3 शहरों में भी बढ़ने लगा है। अब यह भी स्थापित हो चुका है कि क्रिप्टो का उपयोग आपराधिक गतिविधियों जैसे ड्रग माफिया, फिरौती आदि में भी हो रहा है। अतः क्रिप्टो करेंसी पर लगाम कसने हेतु स्वदेशी जागरण मंच संकल्पित है।

सत्र का संचालन श्री लिंगामूर्ति तथा अध्यक्षता श्री अनंदा शंकर पाणिग्रही ने की।

सत्र (4) 24 दिसम्बर, 2021

सत्र के आरम्भ में मध्य क्षेत्र का श्री अरुषेन्द्र शर्मा, राजस्थान क्षेत्र का डॉ. सतीश आचार्य, उत्तर क्षेत्र का सोमनाथ सचदेवा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का डॉ राजीव कुमार, एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश का श्री सर्वेश पाण्डेय द्वारा वृत्त निवेदन प्रस्तुत किया गया।

डॉ. धर्मेन्द्र दुबे द्वारा स्वदेशी आंदोलन और प्रचार तंत्र विषय पर विभिन्न प्रकार के मीडिया तंत्र, जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया (यू ट्युब, व्हाट्स एप्प, इनस्टाग्राम, फेसबुक आदि) की आज के समय में उपयोगिता, चलन एवं किस प्रकार उनका उपयोग कर स्वदेशी जागरण मंच का कार्य विस्तार किया जा सकता है, पर पीपीटी के माध्यम से प्रकाश डाला गया।

मंच संचालन श्रीमती अलका सैनी और अध्यक्षता प्रो. आर.के. मित्तल ने की।

सत्र (5) 24 दिसम्बर, 2021

इस सत्र में विभिन्न विषयों पर 6 समानांतर सत्र चले – (1) श्री अनंदा शंकर पाणिग्रही द्वारा पर्यावरण (2) श्रीमती अमिता पत्की द्वारा परिवार प्रबोधन एवं नारी शक्ति (3) श्री अरुण औझा द्वारा स्वास्थ्य एवं देशी चिकित्सा (4) प्रो. राजकुमार मित्तल द्वारा डेमोग्राफिक डिविडेंड (जनसांख्यिकी लाभांश) (5) श्री ओ.पी. चौधरी द्वारा कृषि और (6) डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) विषय पर प्रकाश डाला गया।

रात्रिकालीन सत्र 24 (दिसंबर, 2021)

रात्रि में भोजन के उपरान्त सभी क्षेत्र संयोजकों ने अपने–अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की, जिसमें परिचय, शोध केन्द्र के लिए किए जा रहे धन संग्रह की प्रान्तशः जानकारी ली गई।

सत्र (6) 25 दिसम्बर, 2021

सत्र के आरम्भ में बिहार का श्री सचिन्द्र बरियार और पूर्वी क्षेत्र का श्री अनंदा शंकर पाणिग्रही ने वृत्त निवेदन किया।

'हमारी कृषि' विषय पर श्री ओ. पी. चौधरी ने बोलते हुए बताया कि हमारी पुरातन कृषि कैसी थी, आधुनिक कृषि क्या है और भविष्य की कृषि कैसी होनी चाहिए।

श्री धनपतराम अग्रवाल ने पर्यावरण पर प्रथम प्रस्ताव तथा डॉ. अश्वनी महाजन ने क्रिप्टोकरेंसी पर द्वितीय प्रस्ताव ऊं की ध्वनी के साथ पारित करवाया।

डॉ. राजीव कुमार ने ई–कॉमर्स पर प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए बताया कि अमेज़न, वालमार्ट, फ्लिपकार्ट, जो तीव्र गति से साम, दाम, दंड भेद के प्रयोग से भारत के रिटेल व्यापर पर कब्ज़ा करती जा रही हैं, जिसका हालिया उदाहरण अमेज़न द्वारा 9,887 करोड़ का रिश्वत कांड है।

डॉ. रणजीत सिंह ने राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगडी जी पर उद्बोधन देते हुए बताया कि dbthengdi.in पर दत्तोपंत जी से संबंधित उनके ऑडियो/विडियो के साथ साहित्य उपलब्ध है।

प्रस्ताव – 3

अमेजन फ्लिपकार्ड–वालमार्ट को भारत में संचालित करने की अनुमति वापस लें

बहु–ब्रांड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। विदेशी कंपनियों को भंडारण आधारित मॉडल के अनुसार कार्य करने पर मनाही है, और नकदी जलाने वाले मॉडल से कीमतों को प्रभावित करना उनके लिए प्रतिबंधित है। अमेजन और फ्लिपकार्ड–वालमार्ट जैसी बहुराष्ट्रीय ई–कॉमर्स कंपनियां भारत में खुले तौर से नियमों का उल्लंघन कर व्यवसाय का संचालन कर रही हैं।

यह सर्वविदित ही है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट का 80 प्रतिशत ऑनलाइन व्यवसाय पर क़ब्ज़ा है। उनके द्वारा दी जा रही छूट ऑफलाइन बाजारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। वे आम जनता को लुभाने के लिए आक्रामक रूप से विज्ञापन देकर, उच्च छूट की पेशकश करते हैं। जनता सुविधा से अधिक छूट के लिए इनकी ओर आकर्षित होती है। इस चलन से स्थानीय दुकानों और किराना दुकानों पर विपरीत असर पड़ रहा है। उसके साथ थोक व्यापारी और ट्रांसपोर्ट आदि में संलग्न लोग भी बड़ी मात्रा में अपना रोजगार खो रहे हैं।

लंबे समय से मांग थी कि भारत में प्लेटफॉर्म की आड़ में अवैध रूप से ई–कॉमर्स कारोबार करने वाली ई–कॉमर्स कंपनियां जो विदेशी फंड के आधार पर यानी 'कैश बर्निंग मॉडल' के आधार पर भारी छूट दे कर बाजारों पर कब्जा कर रही हैं, अपने वित्तीय दस्तावेजों का ऑडिट कराएँ और उन्हें अनिवार्य रूप से सार्वजनिक करें। लेकिन इन कंपनियों ने सदैव अपने दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से परहेज किया।

अमेजन भारतीय विदेशी पूंजी विनियमों को दरकिनार करते हुए छोटे खुदरा विक्रेताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए क्लॉऊडटेल और एप्पेरियो जैसे विक्रेताओं के चयनित समूह को प्राथमिकता देता है। अमेजन ने सोलिमो और अमेजनबेसिक्स जैसे प्रतिस्पर्धी उत्पादों और ब्रांडों को शुरू करने के लिए अपने स्वयं के विक्रेताओं से जानकारी एकत्र की। अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) के माध्यम से भारत में अमेज़ॅन ई–मार्केट प्लेस पर विक्रेताओं से अपनी उपस्थिति को बेहतर बनाने में मदद करने की आड़ में बहुत भारी शुल्क वसूल कर उनका शोषण भी कर रहा है।

अमेज़ॅन छोटे आपूर्तिकर्ता से जबरदस्ती कर उत्पादों की श्रृंखला की पर्याप्त न्यूनतम मात्रा अपने पूर्ति केंद्रों पर रखने हेतु मजबूर करता है। इन आपूर्तिकर्ताओं को वेयरहाउसिंग, परिवहन आदि के लिए भी भुगतान करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप विक्रेताओं के लिए बहुत भंडारण लागत अधिक होती है।

भारत में अमेज़न इतना ताकतवर हो चुका है कि वह विक्रेताओं को आगे बढ़ाने या नुक़सान पहुँचाने, छोटे व्यवसायों को नष्ट करने, उपभोक्ताओं पर कीमतें बढ़ाने और कर्मचारियों को काम से बाहर करने की स्थिति में है। पूर्ति केंद्रों (गोदाम) में श्रमिकों के लिए काम करने की स्थिति अत्यंत खराब है, जहां उन्हें बिना उचित आराम के लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।

अमेजन का दावा है कि वह नौकरियां पैदा कर रहा है। लेकिन यह नहीं बताया जाता कि हर एक नौकरी जो वह पैदा करती है, वह दस अन्य नौकरियों को नष्ट कर रही है। यह स्पष्ट है, क्योंकि यह खुदरा व्यापार में मशीनीकरण करने में सबसे आगे है और अन्यान्य कई तरीकों से बाजार पर कब्जा करते हुए परंपरागत व्यवसायों से लोगों को बाहर करता है। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में इन ई–कॉमर्स कंपनियों के कारण 40,000 मोबाईल दुकानें बंद हो चुकी है।

अमेज़ॅन स्टार्टअप्स को निवेश करने के प्रस्ताव के साथ लुभाता है, और फिर प्रतिस्पर्धी उत्पादों को लॉन्च करता है जिससे न केवल स्टार्टअप्स का विकास अवरूद्ध होता है, देश में उद्यमिता की संस्कृति के लिए भी यह अत्यधिक हानिकारक है।

अमेज़ॅन अपनी ई–कॉमर्स खुदरा गतिविधियों के साथ–साथ छोटी बड़ी खुदरा दुकानों का अधिग्रहण करने की होड़ में है। शॉपर्स स्टॉप और मोर रिटेल चेन में इसका निवेश इस दिशा में कुछ प्रमुख कदम हैं।

2017–18 से 2019–20 तक, केवल तीन वर्षो में, अमेजन ने भारत में कानूनी और पेशेवर शुल्क पर 9,788 करोड़ खर्च किए हैं। आंतरिक स्रोतों से यह खुलासा हुआ है कि भारत में अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए इन खातों के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा है।

कानूनी और वाणिज्यिक शुल्क के रूप में रिश्वत का भुगतान कोई नया तरीका नहीं है। केवल अंतर यह है कि आज के समय में इसका परिमाण काफी बढ़ गया है। कंपनी ने अपनी कानूनी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कई कानूनी फर्मों को काम पर रखा हुआ है। अमेजन कंपनी इन क़ानूनी फ़र्मों को भारी कानूनी शुल्क का भुगतान करती है, और उसके बाद ये कंपनियां

⑩

उस शुल्क को किसी अन्य कंपनी में स्थानांतरित कर देती हैं और उसके बाद एक कड़ी बन जाती है और अंत में अंतिम कानूनी फ़र्म या वकील या कोई पेशेवर, संबंधित अधिकारी को नकद में राशि प्रदान करता है। यह कार्य इतनी चालाकी से किया जाता है कि कंपनी द्वारा एकमुश्त रिश्वत लेने का कोई मामला नहीं बनता है। समझना होगा कि यह बहुत गंभीर मामला है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि सभी ऐसी बड़ी ई कामर्स कंपनियों द्वारा लाइसेंस और अनुमतियां धोखाधड़ी से अनुचित साधनों का उपयोग करके प्राप्त की गई।

स्वदेशी जागरण मंच की यह राष्ट्रीय सभा मांग करती है कि – **इन कंपनियों को दी गई सभी अनुमतियों को तत्काल वापस लिया जाए और उनकी सभी गतिविधियों को अवैध घोषित किया जाए।**

पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जैसे ही इन कंपनियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करने वाले उच्च कार्यालयों में बैठे लोगों सहित सरकारी अधिकारियों के बारे में पता चले, उन्हें पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए छुट्टी पर भेजा जाए और उनके अपराधों के लिए उन्हें दंडित किया जाए। ❑

श्री दीपक शर्मा ने भूमि सुपोषण के महत्त्व एंव भूमि सुपोषण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया।

सत्र (7) 25 दिसम्बर, 2021

इस सत्र में डॉ. सोमनाथ सचदेवा ने रोजगार सृजन के विषय पर उद्बोधन दिया, डॉ राजेश गोयल ने ऐसे रोजगार सृजन केन्द्रों की संकल्पना के विषय में बताया जिनके द्वारा जिला स्तर तक ऐसी व्यवस्था बनें जिससे अधिकाधिक रोजगार का सृजन हो, श्री जितेन्द्र गुप्त ने रोजगार सृजन के लिए जनजागरण की महत्वता पर विषय रखा।

सत्र (8) 25 दिसम्बर, 2021

संगठनात्मक समीक्षा, अभियान, कार्य विस्तार तथा जिला स्तर तक की समीक्षा जैसे विषयों पर दायित्व अनुसार समीक्षा पर विषय लिया गया। प्रान्त संयोजक एवं ऊपर के कार्यकर्ताओं के साथ श्री आर. सुन्दरम व श्री कश्मीरी लाल ने, प्रान्त कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं के साथ डॉ. धनपतराम अग्रवाल और श्री सतीश कुमार ने, विभाग संयोजक एवं अन्य सभी दायित्व के कार्यकर्ताओं के साथ श्री अरुण ओझा और डॉ अश्वनी महाजन ने और दायित्वविहीन सभी शेष कार्यकर्ताओं के साथ श्री अजय पत्की और श्रीमती अमिता पत्की ने बातचीत की। इसी सत्र में भारत बायोटेक के एम.डी. ईला श्री कृष्णा जी ने कोवेक्सिन के विकास में मा. प्रधानमंत्री द्वारा रेग्यूलेटरी प्रक्रिया को सरल करने की सराहना की।

स्वदेशी संदेश यात्रा (25 दिसंबर)

क्षेत्र अनुसार पारम्परिक परिधान में सभी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वदेशी उत्पादों का ही प्रयोग करने एंव स्वदेशी अपनाने का प्रसार करते हुए ग्वालियर शहर में 'स्वदेशी सन्देश यात्रा' निकाली गयी। रैली में कार्यकर्ता प्रान्त का बैनर व भगवा पताका हाथ में लेकर स्वदेशी के उद्घोष के साथ चल रहे थे। शहर के मार्ग पर स्थानीय समाज के लोगों द्वारा कार्यकर्ताओं का स्वागत किया।

शंखनाद सभा (25 दिसम्बर, 2021)

शंखनाद सभा में श्रीमती सुनीता दहिया ने कहा कि परिवर्तन वैचारिक तंत्र से आता है और स्वदेशी जागरण मंच का कार्यकर्ता वैचारिक रूप से सशक्त बनकर कार्य कर रहा है। श्री जितेन्द्र गुप्त ने कहा कि भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए स्वावलंबी बनने की आवश्यकता है।

जोहो कारपोरेशन के सीईओ श्रीधर वेम्बू ने कहा कि हमारे देश के उच्च बौद्विक स्तर के लोग बाहर के देशों में चले जाते हैं और वहां रोजगार सृजन में सहायक होते है, अगर वह लोग देश में ही रुकते तो यहाँ कितना रोजगार सृजन होता। जोहो कारपोरेशन को स्थापित करने का उद्देश्य छोटी–छोटी जगह के उन इंटेलीजेंट बच्चों को आगे लाना है जिन्हें परिस्थितियों वश आगे बढ़ने में कठिनाई होती हैं।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में हमारे अपने उत्पाद बनें, अपने उत्पाद पर कार्य हों, स्वदेशी को अपनाकर हम अधिकाधिक रोजगार सृजित कर सकें जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने जैसे विषयों पर सरकार भी स्वदेशी के साथ एकमत है।

शंखनाद सभा में मुख्य वक्ता के नाते से बोलते हुए श्री अरूण ओझा ने कहा कि स्वदेशी के मार्ग से ही हम भारत को उसका खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त करा सकते है। उन्होंने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी द्वारा 1991 में मंच की स्थापना की पृष्ठभूमि के बारे में भी विस्तार से बताया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम (25 दिसंबर, 2021)।

सत्र (9) 26 दिसंबर, 2021

सत्र में स्वदेशी पत्रिका के महिला विशेषांक का विमोचन करने के पश्चात श्रीमती अमिता पत्की ने मिल्लेट्स पर उद्बोधन में बताया कि वर्ष 2023 को इंटरनेशनल इयर ऑफ़ मिल्लेट्स घोषित किया गया है। अधिक फाइबर और कम ग्लायसिमिक इंडेक्स के कारण मधुमेह के मरीजों के लिए अमृत तुल्य है।

अखिल भारतीय कोष प्रमुख श्री बलराम नंदवानी ने स्वदेशी शोध संस्थान

स्वावलंबी भारत अभियान
'संकल्प पत्र'

पिछले 30 वर्षों की वैश्वीकरण की नीतियों के अत्यंत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि तो हुई है, किन्तु रोजगार के अवसर आनुपातिक रूप से निर्मित नहीं हुए। इसलिए इस अवधि की जीडीपी संवृद्धि को 'रोजगारविहीन संवृद्धि' भी कहा गया। किन्तु जब तक देश पूर्ण रोजगार युक्त नहीं होता, वह पूर्ण स्वावलंबन व वैश्विक मार्गदर्शक के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता।

हर वर्ष भारत की जनसँख्या में करीब 1.2 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद से ही जनसंख्या वृद्धि के प्रकार के कारण जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग युवा है। आज देश की दो तिहाई जनसँख्या की उम्र 35 साल से कम है और यह 36 प्रतिशत से अधिक 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में है। इस दृष्टि से भारत विश्व का सबसे युवा देश है। 15 से 29 वर्ष आयुवर्ग में ही 37 करोड़ युवा हैं। ऐसी स्थिति को 'जनसांख्यिकीय लाभांश' के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, क्योंकि युवा आबादी का बड़ा आकार युवाओं की क्षमताओं का उपयोग करके, देश के लिए तेजी से विकास करना संभव बनाता है। वर्तमान मेंरोजगार सृजन सबसे बड़ी व गंभीर चुनौती है।

आज देश में लगभग 80 प्रतिशत लोग कृषि, लघु–कुटीर उद्योगों, बड़े उद्योगों, व्यापार आदि के माध्यम से स्वरोजगार में संलग्न है। उसके बावजूद सामान्य युवा नौकरी, विशेषकर सरकारी या बड़ी कंपनी की नौकरी को ही रोजगार मानते हैं। अतः परिभाषा ठीक करने से भी समाधान करने में सहयोग मिलेगा। सरकारी तंत्र की लालफीताशाही, नए उद्यम व स्वरोजगार शुरू करने में तंत्र की कठिनाईयाँ, सामाजिक–पारिवारिक सोच का स्वरोजगार के अनुकूल न होना भी पूर्ण रोजगार युक्त भारत की यात्रा के अवरोध हैं, जिनसे मुक्ति की आवश्यकता है।

इन परिस्थितियों में –

- हमें एक ऐसी राष्ट्रीय सोच की आवश्यकता है, जो युवाओं को स्थायी आधार पर रोजगार की सुविधा प्रदान करे, और जो उत्पादक भी हो।
- ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत है, जो उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ अधिक रोजगार के अवसर पैदा करें। हमें कृषि के प्रति उदासीनता को समाप्त करना होगा और कृषि उत्पादन और उससे होने वालीआय को बढ़ाने के प्रयास करने होंगे।
- आय का उचित वितरण भी तभी संभव है जब श्रमिक को उचित मजदूरी मिले, किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले और हर कोई अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। इसके लिए हमें साम्यवाद या समाजवाद की आवश्यकता नहीं है, हमें एकात्म नीति की आवश्यकता है, जहां उत्पादन, रोजगार, निवेश और वितरण को अलग नहीं किया जाता है, बल्कि वे एक दूसरे के साथ एकीकृत रूप से जुड़े होते हैं। इसके लिए न केवल सरकारों व समाज को एकात्म भाव से कार्य करने की जरुरत है, बल्कि समाज को आगे बढ़कर इस रोजगार विहीनता की चुनौती को स्वीकार करना चाहिए।

स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय सभा संकल्प लेती है कि –

स्वदेशी जागरण मंच के सभी कार्यकर्ता बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु आर्थिक क्षेत्र के संगठनों के साथ–साथ शैक्षिक व सामाजिक संगठनों को साथ लेकर जन–जागरण, प्रबोधन और योजना के माध्यम से देश में स्वदेशी, स्वावलंबन एवं स्वरोजगार के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। ❑

तथा उसके लिए किये जा रहे धन संग्रह अभियान पर जानकारी दी।

मा. भागैय्या जी ने स्वावलंबी भारत अभियान के लिए शुभकामनाएं दीं तथा कहा कि इसके लिए हर स्तर के कार्यकर्ता को मन पक्का करने की आवश्यकता है। Diversity is the Soul of Indian Society, अतः हमें विभिन्न लोगों के साथ organisational मोह को त्याग कर कार्य करना है क्योंकि जैसा हम व्यवहार करते हैं वैसी ही लोग धारणा बनाते हैं। उन्होंने कहा कि गणित में एक और एक दो होता है परन्तु जब ध्येयवाद होता है और हम समाज के लिए कार्य करते हैं तब एक और एक ग्यारह होता है। अपने संकल्प पूर्ति हेतु हमें ध्येयवादी होकर कार्य करना है।

सत्र (10) 26 दिसम्बर, 2021

सत्र में मंच संचालन श्री देवेन्द्र भरद्वाज और अध्यक्षता श्री सचिन्द्र बरियार ने की। मुख्य अतिथि राजस्थान में सीकर जिले के दातारामगढ़ से श्री सुंडाराम वर्मा (पदमश्री), जिन्होंने एक लीटर पानी से बड़ा वृक्ष तैयार करने की तकनीक विकसित की, साथ ही राजस्थान की प्रमुख फसलों की 700 प्रजातियों का संकलन किया, उपस्थित रहे। इन्होनें विषय पर प्रकाश भी डाला और सीकर जिले के अजीतगढ़ से श्री जगदीश पारीक (पदमश्री) जो 1970 से

जैविक खेती कर रहे हैं। इन्हें 2003 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 11 किस्म की गोभी उगाने के लिए उनका नाम लिम्का बुक में शामिल है। इन्होनें भी विषय पर प्रकाश डाला। श्री पारीक द्वारा लिखित पुस्तक **'परम्परागत एवं जैविक खेती'** का विमोचन मंच पर उपस्थित सम्मानित अधिकारियों, श्री श्रीधर वेम्बू (संस्थापक, जोहो कारपोरेशन) और श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री) ने किया।

श्रीधर वेम्बू ने कहा कि अगर हम जटिल टेक्नोलॉजी को बना नहीं सकते, परन्तु उसका उपयोग करते हैं तो यह हमारे खर्चों में बढ़ोत्तरी करेगा, जो आर्थिक स्थिति के लिए उचित नहीं है। अतः हमें टेक्नोलॉजी के विकास पर बल देना होगा।

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एक समय भारत विश्व भर में इंडस्ट्रियल कैपिटल हुआ करता था, परन्तु विदेशी शक्तियों द्वारा भारत पर कब्जे के बाद हमारे विकास की गति रुक गयी। अब हमें पुनः विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर होना होगा, जो स्वदेशी की राह अपनाकर ही संभव है।

समारोप सत्र (10) 26 दिसम्बर, 2021

श्री केशव दुबोलिया द्वारा प्रबंधक मण्डली का परिचय करवाया गया, जिन्होंने अपने संगठन कौशल से त्रि–दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

रोजगार सृजन हेतु स्वावलंबी भारत अभियान प्रारंभ किया गया है। देश को स्वावलंबी बनाना है, इसलिए यह आवश्यक है कि देश का युवा रोजगार युक्त हो जाए, इस कार्य हेतु सम्पूर्ण देश में रोजगार सृजन हेतु मानस बनाने के लिए संकल्पित होने हेतु श्री सतीश कुमार द्वारा संकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे सभा द्वारा ऊँ की ध्वनि के साथ पारित किया गया।

श्री कश्मीरी लाल ने आगामी वर्ष के लिए किये जाने वाले कार्यों तथा संगठनात्मक कार्य विस्तार से संबंधित पाथेय प्रदान किया। उन्होंने स्वदेशी–देशी वस्तुओं के लिए नयी सूची की आवश्यकता के साथ ही स्वदेशी–विदेशी एंव लोकल वस्तुओं की सूची भी निर्मित करने पर बल दिया। प्रतिवर्ष 28 अगस्त को अमृता देवी बलिदान दिवस मानाने की भी अनुशंसा की। इसी के साथ वर्ष भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा हेतु भी पाथेय प्रदान किया तथा रोजगार सृजन व स्वावलंबी भारत अभियान हेतु समर्पित होकर कार्य करने का आवहान किया। आपने आगामी कार्यकारिणी समिति की बैठक दिल्ली में 26–27 मार्च 2022 को होने की भी सूचना दी।

अखिल भारतीय संयोजक श्री आर. सुन्दरम ने स्वदेशी कार्य विस्तार हेतु नवीन दायित्वों की घोषणा की और समापन पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।

इस सारी सभा की ऑडियो स्वदेशी जागरण मंच की वेबसाईट www.joinswadeshi.com पर उपलब्ध है। ❑❑

प्रो. राजकुमार मित्तल

अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख

टेक्नॉलॉजी बनाम क्रिप्टो

हाल ही में सरकार ने वर्तमान में चल रहे शीत सत्र में क्रिप्टो करैंसियों के प्रतिबंध एवं विनिमयन हेतु 'क्रिप्टो करैंसी एवं शासकीय डिजीटल करैंसी विधेयक 2021' लाने की घोषणा की है। बिल के विवरण से स्पष्ट है कि सरकार की मंशा निजी क्रिप्टो करैंसियों को प्रतिबंधित करने और रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल करैंसी जारी करने की है। हालांकि विधेयक का मसौदा अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन इन क्रिप्टो करैंसियों में निहित टेक्नॉलॉजी को प्रोत्साहन हेतु कुछ छूट देने की बात भी इस बाबत घोषणा में कही गई है। इसके साथ ही क्रिप्टो व्यवसाय में लगे लोगों में एक खलबली मच गई है कि क्रिप्टो का भविष्य इस देश में क्या होगा?

पिछले काफी समय से देश और दुनिया में क्रिप्टो करैंसियों का चलन बढ़ा है। भारत में केन्द्र सरकार और रिजर्व बैंक दोनों का मत यह रहा कि क्रिप्टो करैंसियां गैरकानूनी हैं। इसलिए इनके लेनदेन को कानूनी मान्यता नहीं दी जा रही थी। इनके लेनदेन में बैंकों की भूमिका को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सूचना जारी कर, बैंकों से क्रिप्टो करैंसियों के लेनदेन से दूरी बनाने और अपने ग्राहकों से इसके बारे में आगाह करने को कहा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि चूंकि सरकार ने कानूनी रूप से इन्हें गैरकानूनी घोषित नहीं किया है, इसलिए बैंकों को दी जाने वाली यह हिदायत कानूनन ठीक नहीं है। इसके बाद तो क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा बड़ी मात्रा में क्रिप्टो करैंसियों में लेनदेन शुरू हो गया। बड़ी मात्रा में आमजन की भागीदारी इसमें बढ़ने लगी। यूं तो इसके बारे में कोई अधिकारिक सूचना नहीं है, बाजार के हवाले से अनुमान है कि करीब 2 करोड़ लोगों द्वारा इसमें पैसा लगाया गया है। छोटे–बड़े शहरों और यहां तक गांवों के लोग (अधिकांश युवा) इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें पैसा लगाकर उन्हें जल्दी लाभ मिल सकता है।

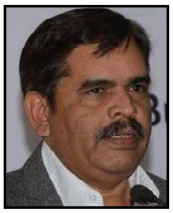

क्रिप्टो वास्तव में एक नई कम्प्यूटर टेक्नॉलॉजी 'ब्लॉकचेन' की देन है।

– **डॉ. अश्वनी महाजन**

ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी और क्रिप्टो

क्रिप्टो वास्तव में एक नई कम्प्यूटर टेक्नॉलॉजी 'ब्लॉकचेन' की देन है। कहा जाता है कि सबसे पहले बिटकॉयन नाम की क्रिप्टो करैंसी खुले स्रोत के सॉफ्टवेयर के माध्यम से वर्ष 2009 में आस्तित्व में आई। इस टेक्नॉलॉजी का अभी तक अनुभव यह रहा है कि वर्तमान में चल रही क्रिप्टो करैंसियों के उद्गम, उसके निर्माता आदि का कुछ पता नहीं चलता। यही नहीं कि यदि कोई व्यक्ति गैरकानूनी रूप से क्रिप्टो प्राप्त करता है तो उसका पता नहीं लगाया जा सकता।

क्रिप्टो करैंसी निर्माण (जिसे कॉयन मायनिंग भी कहा जाता है) के पीछे 'ब्लॉकचेन' टेक्नॉलॉजी है। टेक्नॉलॉजी का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। इस संदर्भ में ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी के कई अभूतपूर्व फायदे हैं। इस टेक्नॉलॉजी का उपयोग कर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि,

भूमि रिकार्ड सहित कई प्रकार की नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इस टेक्नॉलॉजी के नाम पर क्रिप्टो को अपनाना भी जरूरी है?

क्रिप्टो के समर्थकों का कहना है कि 'ब्लॉकचेन' टेक्नॉलॉजी का भरपूर लाभ उठाने और इसके विकास को गति देने के लिए क्रिप्टो करेंसी की मायनिंग एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है। इसलिए उनका तर्क यह है कि क्रिप्टो और 'ब्लॉकचेन' टेक्नॉलॉजी को अलग नहीं किया जा सकता।

लेकिन टेक्नॉलॉजी के समर्थक लेकिन क्रिप्टो के विरोधियों का तर्क यह है कि 'ब्लॉकचेन' टेक्नॉलॉजी का उपयोग करने के लिए क्रिप्टो की कोई जरूरी शर्त नहीं होनी चाहिए। यह सही है कि किसी भी कार्य के लिए प्रोत्साहन जरूरी है, लेकिन वह प्रोत्साहन विधिसंगत और नैतिक रूप से सही होना चाहिए। वर्तमान क्रिप्टो करेंसियां यह शर्त पूर्ण नहीं करती, न तो ये विधिसंगत हैं और इन पर कई नैतिक सवाल भी हैं।

क्यों सही नहीं है क्रिप्टो का चलन

सबसे पहली बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी को करेंसी कहना ही गलत है। करेंसी का अभिप्राय है सरकार की गारंटीशुदा, केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा। क्रिप्टो करेंसी निजीतौर पर जारी आभासी सिक्के हैं, जिनकी कोई वैधानिक मान्यता नहीं है।

दूसरे, क्रिप्टो का उपयोग अपराधियों, आतंकवादियों, स्मगलरों, हवाला में संलग्न व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में पूरी दुनिया में एक कम्प्यूटर वायरस के माध्यम से जब साइबर अपराधियों ने कई कंपनियों का डाटा उड़ा दिया और उसे वापिस देने के लिए फिरौती बिटकॉयन में मांगी गई, तो बिटकॉयन के आपराधिक इस्तेमाल की बात दुनिया के सामने आ गई।

तीसरे, चूंकि यह एक ऐसी मूल्यवान आभासी संपत्ति है, जिसके धारक को तो उसका पता होता है, लेकिन किसी भी अन्य को इसका पता तभी चलता है, जब इसमें बैंक के माध्यम से लेनदेन होता है। हालांकि इसके लेनदेन को घोषित करने के बाद इस पर आयकर लगाया जा सकता है, लेकिन यदि इसकी बिक्री देश में न कर, विदेश में की जाए तो उस पर कर नहीं लगेगा। वास्तव में क्रिप्टो एक वैधानिक संपत्ति नहीं है, इसे किसी कंपनी या व्यक्ति की बैलेंसशीट में नहीं दिखाया जा सकता। यानि क्रिप्टो आयकर, जीएसटी एवं अन्य कई प्रकार के करो की चोरी का माध्यम बन रही है।

चौथे, बिटकॉयन तथा अन्य प्रकार की क्रिप्टो करेंसियों की कीमत में लगातार हो रहे उतार–चढ़ाव और उनकी लगातार बढ़ती मांग के कारण बढ़ती कीमत के कारण युवा इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। एक मोटे अनुमान के अनुसार अभी तक 6 लाख करोड़ रूपया इसमें लग चुका है। यह एक अंधे कुएं की तरह है, क्योंकि ये पैसा कहां जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं। कल्पना करें कि यदि यह पैसा देश के विकास में लगे, हमारे युवा उद्योग धंधे में लगाएं तो हमारी जीडीपी में खासा फायदा हो सकता है। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से देश में पूंजी निर्माण कम हो रहा है। यदि इस प्रकार की आभासी तथाकथित संपत्ति में पैसा लगाने की प्रवृत्ति बढ़ी तो यह निवेश और अधिक कम हो सकता है।

पांचवा, क्रिप्टो के खिलाफ एक बड़ा तर्क यह है कि इसकी मायनिंग में बड़ी मात्रा में बिजली खर्च होती है, जिससे बिजली की कमी झेलनी पड़ सकती है। चीन द्वारा क्रिप्टो को प्रतिबंधित करने में यह सबसे बड़ा तर्क दिया गया है।

क्या किया जाए?

क्रिप्टो के समर्थक भी यह बात मानते हैं कि क्रिप्टो का विनियमन करना जरूरी है। लेकिन उनका यह कहना है कि क्रिप्टो को मान्यता देकर इसका विनिमयन किया जाए। क्रिप्टो विरोधियों में से भी एक वर्ग ऐसा है जो मानता है कि हालांकि इसे प्रतिबंधित करने में ही भलाई है, लेकिन इसको प्रतिबंधित करना व्यवहारिक नहीं होगा, क्योंकि इस प्रतिबंध को प्रभावी नहीं किया जा सकता।

लेकिन देश में एक वर्ग ऐसा भी है, जो मानता है कि क्रिप्टो को उसके द्वारा गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के चलते प्रतिबंधित करना चाहिए और यह संभव है। वे इस बाबत चीन का उदाहरण देते हैं, जहां सरकार ने क्रिप्टो को प्रतिबंधित कर, सरकारी डिजिटल करेंसी जारी करने की ओर कदम बढ़ाए हैं। लगभग इसी मार्ग पर अमरीका भी चलने को तैयार है।

लेकिन क्रिप्टो प्रतिबंधित करते हुए इसकी अंतर्निहित टेक्नॉलॉजी से कोई परहेज नहीं होना चाहिए। 'ब्लॉकचेन' टेक्नॉलॉजी का उपयोग तो तब भी किया जा सकता है। यदि इस व्यवसाय से जुड़े लोगों का यह तर्क मान भी लिया जाए कि इस प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहन देना जरूरी होगा, तो भी यह प्रोत्साहन किसी निजी क्रिप्टो के बजाय, सरकार द्वारा जारी डिजिटल करेंसियों के माध्यम से किया जा सकता है। सरकारी डिजिटल करेंसी देश में लेनदेन हेतु तो इस्तेमाल की ही जा सकती है, साथ ही साथ इसकी वैश्विक मांग भी हो सकती है। सरकारी डिजिटल करेंसी की कीमत को समान भी रखा जा सकता है। यानि इससे सट्टेबाजी और जुए से भी मुक्ति मिल सकती है। ❑❑

लापरवाही हुई तो तहलका मचा सकता है ओमिक्रान

कोरोना के नए वेरिएंट ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है, यह एक चिंता का बड़ा कारण बनता जा रहा है। शुरुआत में ओमिक्रान से कोई विशेष जनहानि नहीं हो रही थी। उससे यह आशा बंधी थी कि कोरोना का यह रूप अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर जल्दी ही विदा हो जाएगा, पर भारत में जिस तरह से यह पांव पसारने लगा है उसे लेकर आमजन में चिंता और घबराहट बढ़ती जा रही है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में इसके फैलने की रफ्तार दिन दूनी रात चौगुनी है।

ओमिक्रान का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में 24 नवंबर 2021 को सामने आया था। अब यह भारत सहित पूरी दुनिया में केवल एक महीने के अंदर ही 110 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है। ओमिक्रान के फैलने की रफ्तार के आंकड़ों पर नजर डाले तो दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमण के 95 फ़ीसदी मामलों की प्रमुख वजह ओमिक्रान ही है। ब्रिटेन में जहां 29 नवंबर तक ओमिक्रान के 0.17 प्रतिशत मामले आ रहे थे, वही 23 दिसंबर तक इसके 38 प्रतिशत मामले दर्ज किए गए। कमोवेश यही हाल अमेरिका का भी है। जहां ओमिक्रान की वजह से संक्रमण दर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और 22 दिसंबर तक हर चौथा मामला ओमिक्रान की वजह से ही सामने आ रहा है। भारत में भी यह संक्रमण फैलने की रफ्तार काफी तेज हो गई है, दिल्ली और मुंबई सबसे ऊपर है।

दुनिया भर में फैलते ओमिक्रान के कहर को लेकर चिंताजनक स्थिति यह है कि इसमें अब तक कुल 53 मियुटेशन हो चुके हैं। यह डेल्टा के मुकाबले बहुत तेजी से फैलता है। डेल्टा में कुल 18 और इसके स्पाइक प्रोटीन में दो म्यूटेशन होते लेकिन वह भी अब बढ़कर स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशन हो चुके हैं जबकि इसके रिसेप्टर बैंडिंग डोमेन में भी 10 म्यूटेशन हो चुके हैं। वायरस स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही मानव शरीर में प्रवेश कर रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ओमिक्रान को कई दिनों पहले ही वैरीअंट आफ फंक्शन घोषित करते हुए कह चुका है कि तेजी से फैलने वाला यह वैरीअंट लोगों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। यूके की सुरक्षा एजेंसी ने भी कोरोना के इस वैरिएंट को दुनिया भर में प्रमुख डेल्टा स्ट्रेन सहित अन्य किसी भी वैरीअंट के मुकाबले बदर होने की क्षमता रखने वाला बताया है। इसका अर्थ यह है कि ओमिक्रान का यह वैरिएंट पुराने वैरिएंटों की तुलना

टीकाकरण नहीं कराने वाले लोगों को शत प्रतिशत खतरा है। यही कारण है कि भारत सरकार ऐसे समय पर टीकाकरण पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है और बहुत सरकारी सेवाओं में टीकाकरण प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया जा रहा है।

– अनिल तिवारी

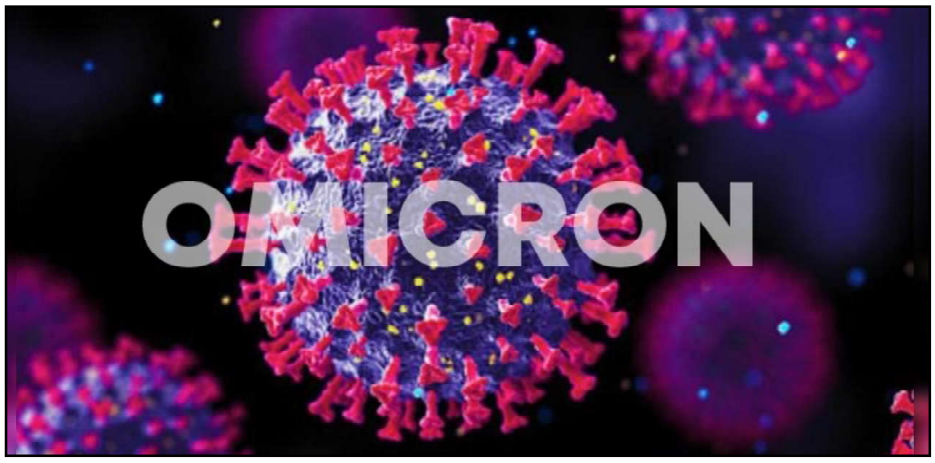

में 6 से 7 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ेगा।

भारत में ओमिक्रान का पहला मामला 2 दिसंबर को सामने आया था और उसके बाद से मूल वायरस के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा तेज रफ्तार से फैल रहा है। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रान का सबसे पहले पता लगाने वाली साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन ने भारत के संदर्भ में कहा है कि कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट के कारण यहां संक्रमण के मामलों में बहुत बढ़ोतरी दिखेगी, लेकिन मौजूदा टीकों से इस रोग को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। ऐसे में टीकाकरण नहीं कराने वाले लोगों को शत प्रतिशत खतरा है। यही कारण है कि भारत सरकार ऐसे समय पर टीकाकरण पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है और बहुत सरकारी सेवाओं में टीकाकरण प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह म्युटेंट बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। हालांकि संक्रमित बच्चे औसतन 5 से 6 दिन में ठीक भी हो जा रहे हैं लेकिन यह स्वरूप बदलकर कई बार घातक साबित हो रहा है। इसलिए बेहद सतर्क सावधान और सुरक्षित रहने की राय दी जा रही है। भारत के विशेषज्ञों का मानना है कि टीकाकरण के अलावा कोविड–19 प्रोटोकाल का पालन विक्रांत संक्रमण को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। हालांकि भारत के संदर्भ में यह स्थिति चिंतनीय इसलिए है क्योंकि कोविड–19 प्रोटोकाल के पालन का सारा ठीकरा और सारी जिम्मेवारी यहां केवल जनता के सिर मट दिया जाता है। कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जाहिर सी बात है कि वहां लोगों की भीड़ जुटेगी और सुरक्षा प्रोटोकाल की खुलकर धज्जियां उड़ाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोरोना के बीच चुनाव को लेकर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया गया, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने आगे बढ़कर दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं दिखाई। पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही के चलते भारत कोरोना की दूसरी लहर के दौरान तबाही का मंजर देख चुका है, ऐसे में यदि चुनावी रैलियों में सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसी प्रकार भारी भीड़ जुटाई जाती रही तो डर यह है कि कहीं फिर से वही हालात न पैदा हो।

> **टीका लगवाने के साथ-साथ सरकार द्वारा जारी नई कोविड-19 गाइडलाइन को मानते हुए अतिरिक्त सतर्कता तथा सावधानी बरते जाने की जरूरत है।**

दरअसल कोरोना को लेकर जितने कयास लगाए जा रहे थे सब निर्मूल सिद्ध हुए। जब 2019 में कोरोना संक्रमण शुरू हुआ तो यह माना जाना लगा कि गर्मी आते ही अपने आप दफन हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। 2020 में तो भयावह दूसरी लहर हमारे देश सहित दुनिया के देशों ने कहर भुगता है और इन सब हालातों को देखते हुए समझना होगा कि एक–दो साल तो कोरोना के साथ ही जीना मरना है। इसमें कोरोना कोई नया अवतार लेकर आए, उससे पहले ही सतर्कता ही हमारे जीवन को बचा सकती है। 2 गज की दूरी और जरूरी मास्क जीवन में रच बस जाना चाहिए। सैनिटाइजर और बार–बार हाथ धोने की बात, जो लोग हाल के दिनों में भूल गए थे, उन्हें फिर से उसे अपनाना चाहिए।

बार–बार हाथ धोने और सावधानी तथा सतर्कता बरतने से ही इस पर काबू पाया जा सकता है और इसका ध्यान कोई सरकार नहीं बल्कि व्यक्ति को खुद ही रखना होगा। टीका लगवाने के साथ–साथ सरकार द्वारा जारी नई कोविड–19 गाइडलाइन को मानते हुए अतिरिक्त सतर्कता तथा सावधानी बरते जाने की जरूरत है। ❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

जलवायु संकट का सामूहिक नियंत्रण

पूरी दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है, ऐसे में एक देश के रूप में चिली ने अगली पीढ़ी को जलवायु संकट के खतरे से बचाने के लिए अपने देश में एक नए संविधान का मसौदा बनाए जाने का फैसला किया है। मसौदे में इस बात को महत्व दिया जाना है कि खनन को कैसे विनियमित किया जाना चाहिए तथा स्थानीय समुदाय को अवैध खनन पर क्या आवाज उठानी चाहिए? प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप मिले संसाधनों पर नागरिकों का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार के अनेक सवालों को ध्यान में रखते हुए चिली सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है।

मालूम हो कि अतीत में चिली अपनी प्राकृतिक संपदा का दोहन करके एक समृद्ध देश बना था, लेकिन इससे वहां के पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ और असमानता कई गुना बढ़ गई। चूंकि मानव गतिविधियां अनिवार्य रूप से नुकसान का कारण बनती है, ऐसे में अच्छे से जीने के लिए प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसे लेकर वहां विमर्श तेज हुआ है। वर्ष 2019 में खनन के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ा, जो बाद के दिनों में विरोध के रूप में सामने आया। ऐसा माना जा रहा है कि चिली की सरकार अपने इस नए मसौदे के जरिए इसकी मरम्मत का प्रयास कर रही है।

आज दुनिया के देशों को जिस चीज की जरूरत है, वह है–जलवायु नवाचार, जो कम कार्बन वाले भविष्य की ओर ले जाए, प्रदूषण पर सीधा हमला, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ गतिशीलता और कई अन्य समाधान प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन के लिए तत्काल और व्यावहारिक समाधान प्रदान करते हैं। भारत के महिंद्रा समूह निर्माण उद्योग के लिए विज्ञान आधारित समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गाइड बुक और टूलकिट विकसित किए हैं। 150 से अधिक सामग्रियों की पहचान की गई है जो थर्मल इंसुलेशन प्रदान कर सकती हैं, ऊर्जा की खपत को कम कर सकती हैं और उपयोगकर्ता के आराम और भलाई में सुधार कर सकती है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ वैश्विक उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा दक्षता स्थानीय पर्यावरण चुनौतियों की गतिशीलता, प्रदूषण इत्यादि से संबंधित पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए समाधान पेश कर रहा है, जो कि छोटी प्रौद्योगिकी को पर्यावरण अनुकूल बना सकती है। भारत के लिए ईवी बैटरी चार्जिंग, सौर ऊर्जा, अंतरिक्ष हिटिंग, कुशल भंडारण के हवाले से बागवानी में अपव्यय में कमी और शीत श्रृंखलाओं के लिए थर्मल ऊर्जा भंडारण का सुझाव दिया जा रहा है। इसके लिए संस्थागत और कारपोरेट स्तर पर प्रयास

जितना हो सके स्थानीय खाने की आदत डाली जाए। शाकाहारी नहीं बन सकते तो पशु आधारित उत्पादों की खपत कम करें और प्लास्टिक के कम से कम उपयोग का संकल्प लें। धीरे–धीरे ऑर्गेनिक खाने की और बढ़े, बड़े पैमाने पर हमें रेखीय के बजाय वृत्ताकार अर्थव्यवस्था का समर्थन करना चाहिए।

– केके श्रीवास्तव

हो रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या यह प्रयास काफी हैं?

ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ते तापमान, बढ़ते समुद्र के स्तर, अस्थिर मौसम, अनियमित वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और असहनीय प्रदूषण के कारण जलवायु संकट पैदा हुआ है। तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि के बाद दुनिया रहने लायक शायद नहीं होगी। इसलिए शुद्ध शून्य उत्सर्जन के काल्पनिक विचार के बारे में चर्चा की जा रही है। जिसमें उत्पादित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा प्राकृतिक और कृत्रिम कार्बन सिंक का उपयोग करके हमारे वातावरण से समाप्त होने वाली मात्रा के बराबर होगी। यदि वास्तव में हम तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री से कम करने में सक्षम है तथा शुद्ध शून्य उत्सर्जन सुनिश्चित कर लेते हैं तो शायद हम मानव शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन वर्ष 2040 से 45 तक यदि हम शुद्ध शून्य उत्सर्जन के मोर्चे पर विफल रहे तो जलवायु संकट असहनीय हो जाएगा।

इस काम में हर आदमी मदद कर सकता है। जितना हो सके स्थानीय खाने की आदत डाली जाए। शाकाहारी नहीं बन सकते तो पशु आधारित उत्पादों की खपत कम करें और प्लास्टिक के कम से कम उपयोग का संकल्प लें। धीरे–धीरे ऑर्गेनिक खाने की और बढ़े, बड़े पैमाने पर हमें रेखीय के बजाय वृत्ताकार अर्थव्यवस्था का समर्थन करना चाहिए। वैश्विक अर्थव्यवस्था को उत्पादों और सामग्रियों को साझा करने, मरम्मत करने, नवीनीकृत करने और पुनः नवीनीकरण करने के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए। इससे उत्पादन प्रक्रियाओं में अपव्यय कम होगा, हमारे लैंडफिल ओवरफ्लो नहीं होंगे। नदी और समुद्र से बदबू नहीं आएगी। हमें सर्कुलर इकॉनामी को बढ़ाने की जरूरत है लेकिन इसके लिए उत्पादन इकाईयों को लाभकारी बनाना होगा। भारत में किसानों की संख्या बढ़ने के कारण औसत खेत का आकार कम होता जा रहा है। कृषि भूमि लगातार बंटकर छोटी हो रही है और जलवायु अप्रत्याशित। वन भूमि को कृषि भूमि में बदला जा रहा है। सतत् खेती कुल मिलाकर एक बड़ी क्षति है। भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। जीवाश्म ईंधन देश की आधी बिजली का स्रोत है। अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य बड़े पैमाने पर हासिल करने की संभावना अभी बहुत कम लगती है। ठोस कचरे का हमारा प्रति व्यक्ति उत्पादन वैश्विक औसत से कम है, लेकिन विशाल जनसंख्या के कारण हम दुनिया में सबसे अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। भारत भी कमोवेश एक पूंजीवादी समाज है, जहां खपत वृद्धि को बढ़ावा देती है। इसलिए कोई भी इसे धीमा नहीं करना चाहता, लेकिन पृथ्वी ग्रह को बचाने के लिए हमें सचेत जिम्मेदार उपभोग करने की जरूरत है।

कंपनियों को भी ट्रिपल बॉटम लाइन के लिए लक्ष्य बनाना चाहिए। उचित लाभ के साथ लोगों के कल्याण और प्रदूषण के समन के लिए उन्हें ट्रिपल–पी यानि प्रॉफिट, पीपुल और पापुलेशन को ध्यान में रखकर ही अपनी योजनाओं को विस्तार देना चाहिए। कंपनियों को जलवायु की देखभाल के लिए प्रक्रियाओं को बदलने की जरूरत है। प्रदूषण मुक्त गतिविधियां दिखावटी और उनके तैयार अभ्यास का हिस्सा न हो, बल्कि आम जीवन की बेहतरी के लिए आवश्यक पहल जैसी हो।

हालांकि सब कुछ निराशाजनक नहीं है लेकिन प्रदूषण और उत्पादन के बीच के समीकरण को ठीक करने के लिए प्रयास होने चाहिए और औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण के साथ ही स्रोतों के संरक्षण के लिए आंदोलन चल रहे हैं। स्थानीय रूप से सोर्सिंग, शाकाहार, नवीकरणीय, ऊर्जा संसाधन, रीसाइक्लिंग आदि को अपनाया जा रहा है, क्योंकि बिना लाभ के कोई व्यापार नहीं हो सकता, इसलिए हमें कंपनियों को उचित और आदर्श लाभदायक पैमाने तक ले जाने की जरूरत है।

हरित जीवन शैली अपनाते हुए हमें सावधानी बरतनी है। हमें उत्पादन, आपूर्ति, खपत और निपटान श्रृंखला का पता लगाना होगा, क्योंकि प्रत्येक चरण में प्रदूषणकारी अपशिष्ट उत्पन्न होता है। आंख मूंदकर हरा उत्पादन का हम समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि हर हरा उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल ही नहीं होता। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले लिथियम और कोबाड अत्यधिक जहरीले होते हैं, एक बार मरने के बाद प्रोटो वोल्टिक कोशिकाएं समान रूप से हानिकारक होती है। हमारे पास इनका कोई समाधान नहीं। इसी तरह सूक्ष्म प्लास्टिक पानी में, हवा में, नदियों में, सागरों में, समुद्री जीवन में और सभी जीवित प्राणियों के भीतर सर्वव्यापी है।

दूसरी तरफ वैश्विक और स्थानीय स्तर पर पर्यावरणीय नस्लवाद का भी एक मुद्दा है। किसी भी समाज में वंचितों को अमीरों की जीवन शैली से पैदा हुए जलवायु विनाशकारी आदतों का बोझ उठाना ही पड़ता है। यही आगे चलकर असंतुलन अन्याय और असमानता को बढ़ाता है। ऐसे में जलवायु न्याय सुनिश्चित करने के लिए धनी राष्ट्रों और अमीर लोगों, जिन्होंने ग्रह को एक गर्म गैस कक्ष में तब्दील कर दिया है, को चुनौती का सामना करने के लिए अधिक बलिदान करने की आवश्यकता है। उन्हें नेट नेगेटिव अपनाने की जरूरत है, न कि केवल नेट जीरो जीने की शैली को अपनाने की। ऐसे में एक राष्ट्र के तौर पर चिली ने जो निर्णय लिया है हमें उसका समर्थन करने के लिए आगे आना चाहिए। ❑❑

काशी, एक लाक्षणिक आयाम...

प्राचीन काशी का आकर्षण अब भी जस का तस है। काशी आज भी मोक्ष चाहने वाले भक्तों को सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए आमंत्रित करती है। काशी ने प्राचीन काल से ही सभी का स्वागत किया है। कभी यह कौशल की समृद्ध राजधानी थी। अतीत में काशी एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र था, जो भारत को खैबर दर्रे की भूमि से जोड़ता था। यहां के काते हुए कपास और महीन रेशम के धागों से बुनी रेशम की साड़ियों ने पूरी दुनिया को ललचाया है। इतिहास के एक बड़े कालखंड तक यह विद्या का एक प्रसिद्ध और उन्नत केंद्र था। काशी में कुशल कारीगरों, कलाकारों, संगीतकारों की एक बड़ी जमात थी। हममिजाज लोगों का काशी ने दिल खोलकर स्वागत भी किया, लेकिन समय के साथ इसी काशी को तुर्क और मुगलों के आक्रमणों के कारण उदासीनता, उपेक्षा और संत्रास का सामना भी करना पड़ा। इतिहास के काल क्रम में कई उतार–चढ़ाव देख चुकी प्रसिद्ध काशी में दुनिया का प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर भी स्थित है। जगत प्रसिद्ध इस शिव मंदिर के साथ विदेशी आक्रांताओं ने समय–समय पर घोर अतिक्रमण किया। वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार ने काशी कॉरिडोर का निर्माण तथा मंदिर का पुनरुद्धार का काम पूरा किया है। राष्ट्र के सामने पुनर्निर्मित मंदिर की प्रस्तुति गैर हिंदुओं द्वारा बार–बार अपवित्र किए जाने की यादों को सदा–सदा के लिए मिटाने के प्रतीक के रूप में देखी जा सकती है। शायद इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने खुद आगे बढ़कर इसकी पहल की तथा इसके उद्घाटन के लिए 13 दिसंबर का दिन चुना। 13 दिसंबर इतिहास की वही तारीख है जिस दिन आतंकवादियों ने भारत की संसद पर हमला किया था। अतीत में अंतिम बार मंदिर का पुनर्निर्माण मराठा रानी अहिल्याबाई ने 1777 से 1780 के बीच कराया था।

काशी पुराने समय में महान शिक्षा विश्वास और भाषाओं की एक स्थापित और प्रसिद्ध सिद्ध पीठ थी। यह नाग, यक्ष देवताओं का आसन था जो सभी देवताओं का स्वागत करता था और असंतुष्ट को भी परोपकारी के रूप में देखता था। योगी, नाथ, सिद्ध और अघोरपंथियों, सभी प्रकार के विद्यार्थियों को यहां निवास मिला। पक्ष विपक्ष दोनों को दरबार में बराबर की इज्जत दी गई। धीरे–धीरे हिंदी में नई हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए उर्दू और अन्य बोलियों को भी अपनाया। काशी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस शहर ने बहुत सारे नरसंहार देखें, औपनिवेशिक लूट का दंश झेला और सांप्रदायिक दंगों को झेला लेकिन कभी भी अपनी सांस्कृतिक जीवन शक्ति नहीं खोई थी। काशी कॉरिडोर बन जाने के बाद अब बगल की ज्ञानवापी मस्जिद देखने में बहुत बौनी लगने लगी है। सवाल है कि क्या यह एक नई परियोजना है जो प्रतीकात्मकता से भरी हुई है? मंदिर में नंदी की मूर्ति बगल की मस्जिद के सामने है। लेकिन भक्तों के अनुसार नंदी हमेशा भगवान के सामने रहते हैं। इसलिए भक्तों का मानना है कि असली गर्भग्रह वही स्थित होना चाहिए। हिंदू भक्तों के मुताबिक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव की काशी का यह स्थान सबसे पवित्र है। माना जाता है कि यह स्थान अविनाशी है, इसका न कोई आदि है, न कोई अंत है।

काशी पुराने समय में महान शिक्षा विश्वास और भाषाओं की एक स्थापित और प्रसिद्ध सिद्ध पीठ थी।

– डॉ. जया कक्कड़

जनसामान्य में एक आम धारणा है कि यह मंदिर अनादिकाल से अस्तित्व में है। 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। औरंगजेब ने उसे गिराने का आदेश दिया था तथा इसके बजाय यहां ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इतिहासकार आंद्रे ट्रस्टी के अनुसार मंदिर का निर्माण अकबर के शासन काल में राजा मानसिंह ने करवाया था। अब वर्तमान में मस्जिद इमारत में शामिल खंडहर मंदिर की दीवार के हिस्से के साथ खड़ी है। आज का काशी विश्वनाथ

मंदिर बगल के स्थान पर अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया था। सन 1991 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मस्जिद के स्थान पर मूल संरचना को बहाल करने के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था, लेकिन मुसलमान इस पर स्टे लेने के लिए कोर्ट चले गए। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के शासनकाल में तत्कालीन सरकार ने संसद के माध्यम से पूजा स्थलों को लेकर विशेष प्रावधान अधिनियम पारित किया, जिसमें कहा गया था कि भारत के स्वतंत्रता दिवस के बाद सभी पूजा स्थलों (अयोध्या को छोड़कर) की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी। अयोध्या को इसलिए बाहर रखा गया क्योंकि उस पर पहले से ही मुकदमे चल रहे थे।

हालांकि काशी और मथुरा सहित देश के सभी पूजा स्थलों को इस अधिनियम के द्वारा एक ढ़ाल दिया गया था लेकिन बाबरी मस्जिद क्षतिग्रस्त कर दी गई। नरसिम्हा राव के इस कृत्य पर सुप्रीम कोर्ट ने जब राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद मामले में हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया तो उस पर एक अनुकूल टिप्पणी भी की है। हालांकि 30 मार्च 2021 को उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सरकार से प्रतिक्रिया मांगी है जो अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती है। इस बीच अप्रैल 2021 में बनारस की एक अदालत ने इस दलील को स्वीकार किया कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर एक विवाद पहले से ही था। अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक को आदेश दिया है कि उनका विभाग ठीक–ठीक सर्वेक्षण करें कि क्या विवादित पक्ष की मस्जिद की संरचना वहां पहले से थी या उसे उसमें कोई परिवर्तन या जोड़ या कोई अतिक्रमण कर नई संरचना की गई अथवा मस्जिद पूरी तरह से एक अध्यारोपण का मामला है। फिलहाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी है, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएं पहले से लंबित है। विवादित स्थल की मौजूदा कानूनी स्थिति यही है।

इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 800 करोड रुपए के काशी विश्वनाथ धाम कारी डोर का उद्घाटन किया तथा कहा कि यह अतीत और भविष्य के बीच का एक सेतु है। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है और हमेशा के लिए हिंदुओं के बीच अपनी पवित्र स्थिति को बनाए रखने में हमेशा सक्षम रहा है। नवनिर्मित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने कुछ मौजूदा लिंक को तोड़ने की कीमत पर नए लिंक को आकार दिया है। खासकर पुनर्निर्माण का पैमाना विस्मयकारी है। मंदिर को भव्य रूप से पुनर निर्मित किया गया है। मंदिर परिसर से लेकर ललिता घाट तक पूरा परिसर अब एक शानदार वास्तुकला का चित्रण भी प्रस्तुत करता है। यह पूरी परियोजना का केवल प्रथम चरण है। इसका दूसरा चरण भी है जिसे भविष्य में पूरा होना है। प्रधानमंत्री के अनुसार काशी धाम कारी डोर का पूरा विचार हमारी संस्कृति और प्राचीन इतिहास को सुदृढ़ करना है। उनका मानना है कि प्राचीनता का आधुनिकता से मेल हो।

ऐसा नहीं है कि बेचैनी की आवाजें नहीं है क्या धर्मनिरपेक्ष भारत में चर्च और राज्य की बैठक हुई है? ऐसे सवालों पर हमारे प्रधानमंत्री का नजरिया बिल्कुल अलग है। प्रधानमंत्री के अनुसार उन्होंने राजनीति धर्म आस्था और विज्ञान आदि जैसे समान प्रतीत होने वाले क्षेत्रों के बीच संतुलन हासिल करने की कोशिश की है। उनका साफ कहना है कि भारत मंदिरों के साथ–साथ चिकित्सा संस्थानों का भी निर्माण कर सकता है। उनका सुझाव है कि भारत को विकास और विरासत दोनों को एक साथ सुनिश्चित करने की जरूरत है और इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है।

हालांकि संशयवादी इससे अलग राय रखते हैं। भारत एक महान सभ्यता रही है जो अब एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई भी बन गई है। भारत में कभी भी संस्कृति और धर्म भाषाओं और विचारधाराओं के संदर्भ में समाज में विद्यमान मतभेदों को स्वीकार करने में संकोच नहीं किया। इसके लिए दुनिया भर में भारत का सम्मान किया जाता है। भारत आमतौर पर विविध शक्तियों के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखने में सक्षम रहा है। भारत के संस्थापक पूर्वजों ने बहिष्करण की जगह आत्मसात करने की प्रवृत्ति का स्वागत किया था लेकिन आलोचकों के अनुसार अब देश का ध्रुवीकरण हो रहा है। देश का बंटवारा हो रहा है। शक्तिहीन और प्रभावी/विपक्ष की अनुपस्थिति के कारण हाल के दिनों में इसे और तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि खंडित विपक्ष धर्म को एक अहम उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने से मुक्त है। वह भी समय के हिसाब से धर्म का इस्तेमाल करता है।

भारत का विचार जैसा कि पहले जाना जाता था, अब धीरे–धीरे लेकिन निश्चित रूप से बदल रहा है। हालांकि अभी यह जल्दी बाजी होगी यह तय करना कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बना रहेगा या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि आजकल एक नया सामाजिक अनुबंध लिखा जा रहा है। एक नई आम सहमति विकसित की जा रही है कि हिंदुओं को भारत में अब अपना सही स्थान हासिल कर लेना चाहिए। नया भारत, एक बड़ी परियोजना के कार्यान्वयन के माध्यम से एक मूलभूत परिवर्तन को निमंत्रण दिया जा रहा है। सभी मीडिया, सांस्कृतिक, अभिजात वर्ग, महत्वाकांक्षी, राजनीतिक, अभिनेताओं के सहयोग और सहायता से एक भव्य डिजाइन को लागू करने का आग्रह सहज ही दिखाई दे रहा है। भारत के हिंदू राष्ट्र होने के बारे में विचारों की व्यापक स्वीकार्यता है। विपक्ष जो कुछ भी रह गया है उसने तो बिना लड़ाई लड़े मैदान छोड़ दिया है।

ऐसे में सवाल यह है कि जब भारत का संविधान अभी भी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है क्या इसे आज का लोकप्रिय जनमानस स्वीकार करने को तैयार नहीं है? खैर लोकतंत्र में अंतिम राय मतदाता की होनी चाहिए। हालांकि लोकतंत्र के शासन पर भी कई लोग सवाल उठा सकते हैं लेकिन यह एक अलग सवाल है। ऐसे में लाजमी भी है कि हम उत्तर प्रदेश के चुनाव का इंतजार करें? ❑❑

क्रांतिकारी विचारों का न्यासी एक सन्यासी

उपनिवेशवादी दौर और मानसिकता के इतिहास लेखन में भले भारत का मजाक औघड़ियों और सपेरों का देश कहकर उड़ाया जाता रहा हो, पर भारत को बगैर ऋषि और कृषि परंपरा के ज्ञान के समझना मुश्किल है। मिथकों, स्मृतियों और किंवदंतियों के बाहर शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद की एक लंबी परंपरा है, जो भारतीय मूल्य, अध्यात्म, संस्कृति और ज्ञान की जड़ों को पुष्ट करते रहे हैं। 12 जनवरी, विवेकानंद के जन्मदिन पर देश के अंदर और बाहर एक बहस शुरू हुई है कि भारत को अपने विकास और समृद्धि के लिए महज नए उपभोगवादी लक्ष्यों को सामने रखना चाहिए या सह–अस्तित्व और आध्यात्मिक ऊर्जा के उस आदर्श को सामने रखना चाहिए, जो हमारी विरासत रही है। मौजूदा दौर युवा जुनून और उसकी ई–तकनीक और प्रबंधकीय मेधा का है। भारतीय युवाओं की उपलब्धियां ग्लोबली सराही जा रही है, स्वीकारी जा रही है। बावजूद इसके देश के समय, समाज और परिवेश को बदलने में उनका कोई बड़ा क्रांतिकारी अवदान सामने नहीं आ रहा है। इसके उलट चिंता यह जताई जा रही है कि देश काल और अपने मूल्य बोध को लेकर नई पीढ़ी खासी लापरवाह है। ऐसे में विवेकानंद का युवाओं के लिए आह्वान सामयिक दरकारों पर काफी खरा उतरता है।

स्वदेशी पत्रिका के इस अंक में हम स्वामी विवेकानंद को सामयिकता के इन्हीं दरकारों के साथ याद कर रहे हैं– स्वदेशी संवाद

विवेकानंद जी ने कहा था कि हमें शक्ति की पूजा करनी है, अतः हमें दृढ़ मस्तिष्क, मजबूत निरोगी काया और मन की आवश्यकता है। दृढ़ता के बिना संसार में सफलता नहीं मिल सकती। उस दृढ़ता का प्रमाण उन्होंने अपने जीवन में अनेक बार दिया। जिस समय उनके गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस अस्वस्थ थे और उनका उपचार कोलकाता के बाहर एक उद्यान भवन में चल रहा था। वहां उन्होंने देखा कि उनके सारे गुरु भाई बाहर खड़े हैं। उन्होंने पूछा, तो ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने कहा है कि गुरु को कैंसर है और वह छूत का रोग है। इसलिए सेवा करने वाले शिष्य भी कुछ सावधानी बरतें। स्वामी ने क्षण भर सोचा और अपने गुरु भाइयों को अपने साथ ऊपर, जहां गुरु अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे, आने के लिए कहा। कमरे में पहुंचकर उन्होंने गुरु की सेवा करने वाले लाटू से पूछा, ठाकुर ने कुछ खाया। उत्तर मिला, ''प्याले में दलिया दिया था, ठाकुर ने थोड़ा सा खाया कि प्याले में ही उल्टी कर दी''। इसका मतलब था कि उनके गले के भीतर से वह दलिया लौटकर प्याले में आ गया था और रोग के सारे कीटाणु उसमें विद्यमान थे।

विवेकानंद जी ने प्याला उठाया और सारा का सारा पी गए। अपने गुरु भाइयों की ओर देखा और कहा, अब कोई रोग की छूत लगने की बात आज के बाद नहीं करेगा।

स्वामी विवेकानंद जी की प्रमुख चिंता थी–मानवता का आध्यात्मिक उत्थान। वे समझते थे कि मानव में सहज रूप से प्रदत बहुत सी संभावनाएं विद्यमान है और वे यह भी मानते थे कि धर्म, शिक्षा और कर्म का समान उद्देश्य है, इन संभावताओं का विकास करना और उनको साकार रूप देना। समाज सेवा के लिए उनका वेद वाक्य था, 'मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है'। विवेकानंद जी सिद्ध पुरुष और संस्कृति पुरुष थे। नैतिक मूल्यों के विकास एवं युवा चेतना के जागरण हेतु कटिबंध मानवीय मूल्यों के पुनरुत्थान के सजग प्रहरी थे, अध्याय दर्शन और संस्कृति को जीवंत करने वाली संजीवनी बूटी भारतीय संस्कृति और भारतीयता के प्रखर प्रवक्ता, युगीन समस्याओं के समाधान, अध्यात्म और विज्ञान के संबंधित वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु, स्वामी विवेकानंद का

जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। वे महज 25 वर्ष की आयु में घर छोड़कर साधु बन गए थे। भारत में उनका जन्मदिन 'युवा दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि स्वामी विवेकानंद आज भी भारत के अधिकांश युवाओं के आदर्श हैं। उनकी हमेशा यही शिक्षा रही कि आज के युवा को शारीरिक प्रगति से ज्यादा आंतरिक प्रगति की जरूरत है और युवाओं में जोश भरते हुए वे कहा करते थे कि 'उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो'।

आज का भारत नौजवान है। युवा शक्ति से भरा हुआ है। युवा के मन में व आंखों में सपने होते हैं, लेकिन अधूरे होते हैं। मजबूत संकल्प शक्ति होती है। युवा पत्थर पर भी लकीर खींचने का सामर्थ रखते हैं और इन्हीं युवाओं के भरोसे विवेकानंद ने आवाहन किया था कि मैं अपनी आंखों के सामने भारत माता को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होते हुए देख रहा हूं।

विवेकानंद जी का मूल संदेश था कि चिर, पुरातन, नित्य नूतन के वाहक, अतीत को पढ़ो, वर्तमान को गढ़ो और आगे बढ़ो। जो समाज अपने इतिहास एवं विरासत की मूल्यवान चीजों को नष्ट कर देता है वह निषप्राण हो जाता है और यह भी सत्य है कि जो समाज इतिहास में ही डूबे रहते हैं वह भी धीरे–धीरे समाप्त हो जाते हैं। वर्तमान समय में तर्क और तथ्य के बिना किसी भी बात को सिर्फ आस्था के नाम पर आज की पीढ़ी के गले नहीं उतारा जा सकता। भारतीय ज्ञान को तर्क के साथ प्रस्तुत करने पर पूरी दुनिया आज उसे स्वीकार करती हुई प्रतीत भी हो रही है। विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो भाषण में इस बात को चरितार्थ करके दिखाया था। जहां मंच पर संसार की सभी जातियों के बड़े–बड़े विद्वान उपस्थित थे। भाषण के प्रथम चार शब्द, 'अमेरिकावासी, भाइयों तथा बहनों' इन शब्दों को सुनते ही जैसे सभा में उत्साह का तूफान आ गया और 2 मिनट तक 7000 लोग उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाते रहे। पूरा सभागार करतल ध्वनि से गुंजायमान हो गया।

शब्दों के जादूगर विवेकानंद के संवाद का यह जादू शब्दों के पीछे छिपी चिर पुरातन भारतीय संस्कृति, सभ्यता, अध्यात्म और उस युवा के त्यागमय जीवन का था, जो शिकागो से निकला, वह पूरे विश्व में छा गया। उस भाषण को आज भी दुनिया दिल से याद करती है। उस भाषण से दुनिया के तमाम पंथ आज भी सबक ले सकते हैं। इस अकेली घटना ने पश्चिम में भारत की एक ऐसी छवि बना दी जो आजादी से पहले और इसके बाद सैकड़ों राजदूत मिलकर भी नहीं बना सके। अमेरिकी प्रेस ने विवेकानंद को उस धर्म संसद की महानतम विभूति बताया था और विवेकानंद के बारे में लिखा था 'उन्हें सुनने के बाद हमें महसूस हो रहा है कि भारत जैसे एक प्रबुद्ध राष्ट्र में मिशनरियों को भेजकर हम कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे थे'।

अपनी प्रथम विदेश यात्रा से लौटने के बाद भारत की दुर्दशा पर स्वामी जी ने गहन चिंतन किया। वे अक्सर कहते थे, हे भगवान! हे भगवान! की रट लगाना और नाक पकड़कर मोक्ष की कामना करना, इसी कारण भारतीयों के मन मरे हुए है और कलाइयां सिकुड़ी हुई है। *'होईहैं सोई जो राम रचि राखा'* के भरोसे रहकर ही भारतीय बंधुओं ने पराधीनता की बेड़ियों से अपने हाथ को जकड़ रखा है। इसलिए स्वदेश लौटते ही स्वामी जी ने अपने प्रत्येक भाषण में 'शरीरमाध्यम खलुधर्म साधनम्' के महामंत्र का मजबूती से उद्‌घोष किया।

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अनुसार 'स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म और भारत की रक्षा की'। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, 'विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता है'। महात्मा गांधी मानते थे कि 'विवेकानंद ने उनके देश प्रेम को हजार गुना बड़ा कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने खुद को एक भारत के लिए कीमती और चमकता हीरा साबित किया। उनके योगदान के लिए उन्हें युगों और पीढ़ियों तक याद किया जाएगा'। जवाहरलाल नेहरू ने 'डिस्कवरी आफ इंडिया' में लिखा है कि 'विवेकानंद दबे हुए और उत्साहहीन हिंदू मानस में एक टॉनिक बनकर आए और उसके भूतकाल में से उसे आत्मसम्मान व अपनी जड़ों का बोध कराया'।

कुल मिलाकर यदि कहा जाए कि स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता थे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह इसलिए कि स्वामी जी ने भारतीय स्वतंत्रता हेतु भारतवासियों के मनों में एक स्वाभिमान का माहौल तैयार किया। आज के समय में विवेकानंद के मानवतावाद के रास्ते पर चलकर ही भारत एवं विश्व का कल्याण हो सकता है। आज विवेकानंद को पढ़ने के साथ–साथ उनको गुनने की भी जरूरत है। हमें याद रखना चाहिए कि अनेक प्रकार के आक्रमणों को झेलने के बाद भी भारत आज भी अपनी जड़ों के साथ खड़ा है तो उसका कारण स्वामी विवेकानंद जैसी महान आत्माएं ही हैं, जिन्होंने भारत को भारत के दृष्टिकोण से देखा और भारतीय मानव में भारत के प्रति भक्ति पैदा की। विवेकानंद के जीवन से प्रभावित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक चिंतक एवं वर्तमान में सह सरकार्यवाह डॉ मनमोहन वैद्य अक्सर कहते हैं कि भारत को समझने के लिए चार बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले भारत को मानो, फिर भारत को जानो, उसके बाद भारत के बनों और सबसे आखिर में भारत को बनाओ। ❑❑

कृषि सुधारों पर व्यापक बहस व सहमति आवश्यक

भारत में राज्य व केन्द्र सरकारों के द्वारा कृषि की स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न कदम समय समय पर उठये गये। अब यह महसूस होने लगा है कि कृषि में सुधारने के लिए एक व्यापक बहस व सहमति अत्यावश्यक है वरना तो सरकारों के द्वारा घोषित होने वाले सुधारों का यही हाल होगा जो तीन कृषि कानूनों का हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा सर्वसाधारण जनों के लिए अत्यन्त अच्छा व किसानों के हित में समझा जाने के बाबजूद भी आंदोलन के दबाब में राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित व लोकतांत्रिक ढ़ंग से बनाये गये तीनों कृषि कानूनों को क्षमा मांगते हुए 19 नवम्बर 2021 को वापस लेना पड़ा। यह सभी देशवासी समझते थे कि तीनों कृषि कानून बहुत सोच समझ कर बनाये गये थे और उन कानूनों से किसानों की विभिन्न समस्याओं का समाधान होता तथा किसानों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में व्यापक सुधार हो सकता था।

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है तथा यह क्षेत्र व्यापक रुप से देश के नौजवानों को रोजगार भी उपलब्ध कराता है। देश की विभिन्न योजनाओं में किसानों व कृषि का हित देखा जाता है। परन्तु लोकतांत्रिक व्यवस्था की राजनीति किसानों की दशा सुधारने के रास्ते में आड़े आ जाती है। उससे किसानों की स्थिति सुधर नहीं पाती है। भारत में लगभग 48 प्रतिशत जनसंख्या कृषि से जुड़ी गतिविधियों से अपनी आजीविका प्राप्त करती है। भारत में जनसंख्या में तेज गति से बृद्धि होती जा रही है जिससे भारत में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता कम होती जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता मात्र 0.12 हेक्टेयर है जबकि वैश्विक स्तर पर यह 0.29 हेक्टेयर है अर्थात भारत में यह आधे से भी कम है।

कृषि जनगणना 2015–16 के अनुसार औसत जोत का आकार 1.08 हेक्टेयर था जो 1970–71 में औसत जोत 2.28 हेक्टेयर थी। जोत का आकार कम होने से कृषि में फसलों की लागत बढ़ती जाती है। लागत का बढ़ना कृषि की सबसे बड़ी समस्या है।

वर्ष 1951 में 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि से आजीविका ग्रहण करती थी। वर्ष 2011 में यह संख्या मात्र 48 प्रतिशत रह गई। जबकि जनसंख्या बढ़ने से कृषि पर

कृषि शिक्षा के प्रचार व प्रसार व कृषि प्रबंधन के लिए बड़ी संख्या में महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों की स्थापना करना भी आवश्यक है जिससे खेती करने की नवीन तकनीक विकसित की जा सके।

– डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

आजीविका के लिए निर्भर लोगों की संख्या बहुत बढ़ी है। जोत का आकार कम होता जा रहा है। देश में भूमि का असमान वितरण भी गम्भीर समस्या हैं। लगभग पांच प्रतिशत किसाानों के पास कुल भूमि का 30 प्रतिशत से अधिक कृषि भूमि है तथा मात्र एक प्रतिशत किसान ही बड़े किसानों (दस हेक्टेयर से अधिक) की परिभाषा में आते है। 4 प्रतिशत मध्यम (4.01 से 10 हेक्टेयर) श्रेणी, 9 प्रतिशत लघु मध्यम (2.01 से 4.00 हेक्टेयर), 18 प्रतिशत छोटे किसान (1.01 से 2.00 हेक्टेयर) एवम् 68 प्रतिशत सीमान्त किसान (1 हेक्टेयर से कम) की श्रेणी में है।

देश के 63.4 प्रतिशत परिवार खेती, 22 प्रतिशत परिवार खेती में मजदूरी व नौकरी करके, 4.7 प्रतिशत परिवार गैर कृषि उद्यम से, 3.7 प्रतिशत परिवार पशुपालन से, 1.1 प्रतिशत परिवार अन्य कृषि गतिविधियां तथा 5.1 प्रतिशत अन्य कार्यों से आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है।

कुल जीड़ीपी में भी कृषि का योगदान घटता जा रहा है व सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है। 1950–51 में कृषि का योगदान 51.9 प्रतिशत, 1980–81 में 35.7 प्रतिशत तथा 2014 – 15 में 17 प्रतिशत था जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान 1950–51 में 34.6 प्रतिशत, 1980–81 में 45.3 प्रतिशत, तथा 2014–15 में 53 प्रतिशत था।

कृषि जनगणना 2015–16 के अनुसार देश में सकल कृषि योग्य भूमि 19.2 करोड़ हेक्टेयर है जिसमें मात्र 9. 5 करोड़ हेक्टेयर सिंचित भूमि है। सिंचाई में अत्यधिक दोहन से भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा है तथा सिंचाई के सही तरीके नहीं अपनाने से जल की बर्बादी अधिक हो रही है जिसमें सरकारें सब्सिड़ी भी देती है। इस बात पर विचार किया जाना आवश्यक है कि भारतीय किसान मेहनत में कमी नहीं छोड़ता परन्तु फिर भी वह गरीब ही रहता है। किसान कृषि में ऋणों में दबता जाता है। केन्द्र सरकार ने कृषि में सुधार के लिए ही तीन कृषि कानून बनाये थे परन्तु कुछ लोगों की हठधर्मिता से 12 करोड़ किसान परिवारों का सपना टूट गया। कानून हमेशा गलत प्रवृतियों पर रोक के लिए बनाये जाते है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में अच्छे व सुधारवादी कदमों के लिए किसी कानून की कितनी आवश्यकता होती है।

भारतीय कृषि की सबसे बड़ी कमी असमान जोत है जिससे एक मंत्र समान रुप से सभी किसानों पर लागू नहीं हो सकता। सरकार को संसाधन, तकनीक, फसल विविधता, कृषि से जुड़े अत्यधिक लोग आदि कमियों का चरणबद्ध तरीके से दूर करना होगा जिसे किसान खुशहाल हो सके तथा कृषि को एक पेशे के रुप में अपनाने पर सम्मानित महसूस कर सके। भारत अब अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है। बस रणनीति बदलने की आवश्यकता है।

देश के मेहनतकश किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से लैस किया जाना चाहिए तथा सरकार के द्वारा दिये जाने वाले अनुदान का लाभ दिया जाय। बिचौलियों को खुली छूट किसानों के अधिकार पर ड़ाका ड़ालने का काम करती है। भाासन व प्रशासन को किसानों के प्रति संवदेनशील होना चाहिए तथा किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। कृषि को एक सम्मानजनक पेशा बनाया जाना चाहिए।

किसान कृषि के कचरे से बाई प्रोड्क्ट बना कर व फूड़ प्रोसेसिंग व पशुपालन से अच्छी कमाई कर सकता है। कृषि जमीन का अधिकतम उपयोग करते हुए इंटर क्रापिंग की जानी चाहिए। कृषि उपज की अंतरराज्यीय बिक्री पर रोक नहीं होनी चाहिए। मंड़ी कानून में सुधार करना चाहिए। अब पूरा विश्व एक बाजार बनता जा रहा है। भारत के किसानों को यदि विश्व के किसानों से प्रतियोगिता करनी है तो उसे भी अत्याधुनिक कृषि तकनीक तथा आधुनिक व उन्त बीज उपलब्ध होने चाहिए।

खेती की जमीनों का सरकार के द्वारा कम्प्यूटरीकरण करके उसकी हस्तांतरण को आसान होना चाहिए जिससे कृषि अपनाना व छोड़ना आसान हो सके व जमीन के मलिकाना हक को लेकर मुकदमेबाजी कम हो सके जिससे किसान मुकदमेबाजी में फंस कर गरीब होता जाता है। जमीन को लेकर विभिन्न पाबंदियां कम की जानी चाहिए। भंडारण व कोल्ड़ स्टोरेज की व्यवस्था, गांवों को सड़क से जोडना, बिजली व पीने व सिचांई के पानी की उचित व्यवस्था तथा स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना से गांवों की स्थिति बदल सकती है।

भारत का यदि अन्न उत्पादक खुश व समृद्धिशाली होगा तो देश की भी तरक्की हो सकेगी। कृषि सुधारों पर व्यापक बहस व सहमति बनाना आवश्यक है तथा किसान के वर्तमान हालात पर व्यापक बहस करके उन कारणों का पता लगाया जाना जरुरी है जिससे कि किसान वास्तव में गरीबी की हालात में बना रहता है। शहरों की ओर युवा भाक्ति का पलायन को रोका जाना चाहिए। किसानों को उद्योंगो की स्थापना के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। खेतों की मेढ़ों पर वृक्षारोपणा के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए तथा उस पर वन कानूनों से नियंत्रण नहीं किया जाना चाहिए। कृषि शिक्षा के प्रचार व प्रसार व कृषि प्रबंधन के लिए बड़ी संख्या में महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों की स्थापना करना भी आवश्यक है जिससे खेती करने की नवीन तकनीक विकसित की जा सके। किसानों की व कृषि की स्थिति पर प्राथमिकता के आधार पर दीर्घकालीन योजनाऐं बनानी चाहिए। ❑❑

डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर 251001 (उ.प्र.), के वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष व ऐसोसियेट प्रोफेसर के पद से व महाविद्यालय के प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त हैं तथा स्वतंत्र लेखक व टिप्पणीकार है।

शिक्षा सुधार है रोजगार की कुंजी

केंद्र सरकार का कहना है 2018 में प्रोविडेंट फंड की सदस्यता लेने वाले श्रमिकों में 70 लाख की वृद्धि हुयी है, लेकिन प्रोविडेंट फंड की सदस्यता में वृद्धि और रोजगार में वृद्धि दो अलग–अलग बाते हैं। 2018 का समय नोटबंदी और जीएसटी का था। इन नीतियों के कारण छोटे उद्योग कम हुए थे और बड़े उद्योग बढ़े थे। छोटे उद्योग ही ज्यादा रोजगार बनाते थे। इसलिए यदि छोटे उद्योगों में 100 कर्मी बेरोजगार हुए तो हम मान सकते हैं कि बड़े उद्योगों में 50 रोजगार बने होंगे। कुल रोजगार में 50 की गिरावट आयी। लेकिन जिन 50 को रोजगार मिला वे प्रोविडेंट फण्ड के सदस्य बने चूँकि वे बड़े उद्योगों में कार्यरत थे। थे इसलिए प्रोविडेंट फण्ड की सदस्यता में 50 सदस्यों की वृद्धि हुई जबकि साथ–साथ कुल रोजगार में 50 श्रमिकों की गिरावट आई। इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा की गयी सामयिक श्रम सर्वे में कहा गया कि 2012 एवं 2018 के बीच अपने देश में शहरी बेरोजगारी में तीन गुना वृद्धि हुयी है और गंभीर विषय यह है कि यदि मान भी लें कि 2018 में 70 लाख नये रोजगार बने तो भी बेरोजगारी की समस्या का निदान नहीं होता है क्योंकि अपने देश में हर वर्ष 120 लाख नये युवा श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से यदि 70 लाख को रोजगार मिल भी गए तो भी 50 लाख युवा बेरोजगार ही रह जायेंगे।

समस्या के गंभीर होने के दुसरे संकेत उपलब्ध है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी उपरोक्त सामयिक श्रम सर्वे के अनुसार 2012 से 2018 के बीच शहरी बेरोजगारी की दर में 3 गुना वृद्धि हुयी है। इसी सर्वे के अनुसार 2018 में अपने देश में 15 से 24 वर्ष के लोगों में 28.5 प्रतिशत बेरोजगार थे जो कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अधिकतम था। इसी सर्वे के अनुसार 2012 से 2018 के बीच वेतन में भी गिरावट आई है। जैसे मान लीजिये आपका 2012 में वेतन 100 रूपये प्रति दिन था। वृद्धि हुई और 2018 में आपका वेतन 110 रूपये प्रति दिन हो गया। वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। लेकिन मान लीजिये इसी अवधि में जो टॉफ़ी 2012 में 1 रूपये में मिलती थी वह 2018 में 1.50 रूपये में मिलने लगी।

यदि हम अपने वेद, पुराण तथा करपात्रीजी महाराज जैसे विद्वानों की टीकों को सुलभ अंग्रेजी में उपलब्ध करा दें तो हमारी संस्कृति का भी वैश्वीकरण होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

– डॉ. भरत झुनझुनवाला

ऐसा हुआ तो आपके वास्तविक वेतन में कटौती हुई। 2012 में आप एक दिन के वेतन में 100 टॉफी खरीद सकते थे। 2018 में एक दिन के वेतन में आपको केवल 55 टॉफी मिलेंगी चूँकि वेतन में वृद्धि कम और टॉफ़ी के दाम में वृद्धि ज्यादा हुई है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा की गयी सर्वे में कहा गया कि 2012 से 2018 के बीच वास्तविक वेतन में 1.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। अतः बेरोजगारी की समस्या को झुठलाने से काम नहीं चलेगा। इसके मूल कारणों का निवारण करना होगा।

बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण तकनीकी बदलाव है। जैसे पूर्व में बैंक में खाते क्लर्कों द्वारा रखे जाते थे, अब यह कार्य कम्प्यूटर से होने लगा है। बैंक की कई शाखाओं में केवल दो या तीन कर्मी काम करते हैं। कम्प्यूटर ने श्रमिकों की जरूरत को कम कर दिया है, लेकिन साथ–साथ बैंकों का प्रसार बढ़ा है और शाखाओं कि संख्या बढ़ी है। इनमें नये रोजगार उत्पन्न हुए हैं। इतिहास पर गौर करें तो किसी समय यातायात का प्रमुख साधन घोडा गाड़ी हुआ करती थी। इसके बाद कार का आविष्कार हुआ जिसके कारण घोड़ा गाड़ी चलाने वाले बेरोजगार हो गये। लेकिन कार के चलन का विस्तार हुआ इनके उत्पादन और मरम्मत में नये रोजगार बने। इनके लिए सड़क और फ्लाईओवर बनाने में भी रोजगार बने। इसलिए घोड़ा–गाड़ी में रोजगार में गिरावट के बावजूद यातायात क्षेत्र में कुल रोजगार बढ़े। वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा हमारे सामने है। तमाम कार्य जैसे हड्डी में फ्रैक्चर को पहचानना अथवा खून के रुग की जांच करना अब कम्प्यूटर द्वारा किये जाने लगे हैं। ऐसा होने से रेडियोलाजिस्ट और पैथोलाजिस्ट के रोजगार पर संकट आने को है। लेकिन जिस प्रकार घोड़ा गाड़ी के समाप्त

सरकार को चाहिए कि सरकारी कर्मियों और साधारण नागरिकों के वेतन के बीच संतुलन स्थापित करे जिससे सरकारी नौकरी का मोह कम हो और हमारे युवा सच्ची पढ़ाई पर ध्यान दें।

होने के बावजूद कार के चलन से कुल रोजगार में वृद्धि हुई; उसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से तमाम नये उत्पाद बन सकते हैं जैसे आपके मनपसन्द प्लाट का सिनेमा बनाना अथवा वीडियो मिक्स करना इत्यादि। अतः हमें अपने युवाओं को रोजगारों की इन नई संभावनाओं को पकड़ने को प्रशिक्षित करना होगा।

यहाँ प्रमुख समस्या हमारी शिक्षा व्यवस्था की है। वर्तमान में युवाओं का रुझान सरकारी नौकरियों की तरफ बना हुआ है, बावजूद इसके कि सरकारी नौकरियों की संख्या में कमी आई है। लेकिन सामान्य शिक्षा वाले प्राइमरी सरकारी स्कूल के टीचर को आज 50 से 70 हजार रूपये प्रति माह मिलता है जबकि एक ट्रेंड नर्स अथवा डाटा इंट्री आपरेटर को बमुश्किल 15 हजार रूपये प्रति माह मिलता है। इसलिए युवाओं को नर्स अथवा डाटा इंट्री आपरेटर कि क्षमता हासिल करने में रूचि नहीं है. उनका पूरा ध्यान सरकारी नौकरी हासिल करने की तरफ मात्र रहता है। वास्तविक "शिक्षा" ग्रहण करने में उनकी रूचि नहीं है।

सरकार को चाहिए कि सरकारी कर्मियों और साधारण नागरिकों के वेतन के बीच संतुलन स्थापित करे जिससे सरकारी नौकरी का मोह कम हो और हमारे युवा सच्ची पढ़ाई पर ध्यान दें। इस दिशा में सरकार को प्राइमरी स्तर पर ही अंग्रेजी भाषा और कम्प्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए जिससे कि युवा आने वाले समय में कम्प्यूटर आधारित रोजगार जैसे पुस्तकों का अनुवाद करना अथवा वीडियो मिक्स करना जैसे कार्यों को स्वयं कर सकें और अपनी जीविका अर्जित कर सकें।

हमें इस चिंता में नहीं रहना चाहिए कि अंग्रेजी को अपनाने से हमारी संस्कृति की हानि होगी. हमें ध्यान करना चाहिए कि किसी समय हमारी संस्कृति सिन्धु घाटी की भाषा में समझी जाती थी। इसके बाद वही प्राकृत भाषा में परिवर्तित हुयी और फिर देवनागरी में, लेकिन संस्कृति की निरन्तरता कायम रही। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अपनी संस्कृति का अंग्रेजीकरण करें जिससे कि हम अंग्रेजी भाषा में उत्पन्न होने वाले रोजगार भी हासिल करें और साथ–साथ अपनी संस्कृति का वैश्वीकरण भी कर सकें। यदि हम अपने वेद, पुराण तथा करपात्रीजी महाराज जैसे विद्वानों की टीकों को सुलभ अंग्रेजी में उपलब्ध करा दें तो हमारी संस्कृति का भी वैश्वीकरण होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए। इतिहास की उपयोगिता भविष्य को संवारने के लिए होती है। इतिहास का उद्देश्य इतिहास के कटघरे में जीवित रहने का नहीं होता है। ❑❑

सिखों के इतिहास का सुनहरा पन्ना है छोटे साहिबजादों का बलिदान

देश अब हर साल 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चार साहिबजादों को समर्पित वीर बाल दिवस मनाने के ऐलान का देश में चौतरफा स्वागत हो रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिख धर्म के इतिहास में 26 दिसंबर का क्या महत्व है।

'वीर बाल दिवस' बच्चों की बहादुरी के लिए एक श्रद्धांजलि है, जो गुरु गोविंद सिंह के दो सबसे छोटे बेटे साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को समर्पित है। इन्हें मुस्लिम बनने से इनकार करने पर सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान के आदेश पर जिंदा दीवार के अंदर चुनवा दिया गया था। उस समय जोरावर सिंह 9 वर्ष के थे और फतेह सिंह केवल 7 वर्ष के थे। उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिए जाने के तुरंत बाद उनकी दादी गुजरी देवी (गुरु गोविंद सिंह की मां) की मौत हो गई थी। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब उस स्थान पर खड़ा है जहां दो साहिबजादों की 12 दिसंबर 1705 को क्रूर हत्या की गई थी। वर्तमान कैलेंडर के अनुसार यह दिन 26 दिसंबर को आता है। ऐसा माना जाता है कि जब सरहिंद शहर में कोई भी उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जमीन देने के लिए सहमत नहीं हुआ तो दीवान टोडरमल नामक एक अमीर हिंदू व्यापारी ने कम से कम 7800 सोने के सिक्कों के साथ जमीन का एक छोटा टुकड़ा खरीदा और साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया।

गुरु गोविंद सिंह के चार बेटे थे। चार साहिबजादे, चारों ने मुगलों के खिलाफ खालसा पंथ की पहचान और सम्मान को बनाए रखने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह ने 40 बहादुर सिंह योद्धाओं के साथ मिलकर चमकौर का युद्ध मुगलों के खिलाफ लड़ा। यह युद्ध पंजाब के चमकौर में 1704 में 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक लड़ा गया था। मुगलों की विशाल सेना से बहादुर सिखों ने डटकर मुकाबला किया। चमकौर साहब की लड़ाई में अजीत सिंह और जुझार सिंह की मृत्यु हो गई थी।

गुरु गोविंद सिंह के दो अन्य बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की बहादुरी और बलिदान को न केवल उनकी उम्र के कारण अद्वितीय माना जाता है बल्कि उन क्रूर और बर्बर

'वीर बाल दिवस' बच्चों की बहादुरी के लिए एक श्रद्धांजलि है, जो गुरु गोविंद सिंह के दो सबसे छोटे बेटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को समर्पित है।

– स्वदेशी संवाद

परिस्थितियों के लिए भी, जो मुगलों ने बच्चों और उनकी दादी के लिए तय किया था। फांसी से पहले दो बच्चों और उनकी दादी को ठंडे मौसम में किले की खुली हवा में ठंडे बुर्ज में बंदी बनाकर रखा गया था, जिसमें वे अंतहीन रूप से कांपते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार किया। कई दिनों तक उन पर दबाव डाला गया और इस्लाम न मानने पर जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन वह मुगलों से नहीं डरे और अपने धर्म को त्यागने से इंकार कर दिया। अंत में गोविंद सिंह जी के दो बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। जोरावर और फतेह सिंह, गुरु की पहली पत्नी जीतू जी के पुत्र थे, जो जीतू जी के निधन के बाद उनकी दादी ने उनकी देखभाल की थी।

पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला द्वारा प्रकाशित सिख धर्म का विश्वकोश छोटे साहबजादे और माता गुजरी के अंतिम दिनों की कहानी बताता है। गुरु गोविंद सिंह ने 5–6 दिसंबर 1705 की रात आनंदपुर को खाली करा लिया। गुरु गोविंद सिंह जी अपने बहादुर योद्धाओं के साथ मुगलों की सेना से लड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उस समय उनके साथ उनकी माता गुजरी और दो बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह भी थे। सहरसा नदी पार करते वक्त गुरु गोविंद सिंह जी परिवार से बिछड़ गए। वहीं परिवार के बिछड़े अन्य लोग घर वापस चले गए। कहा जाता है कि माता गुजरी के पास मुगल सेना के सिक्कों को देखकर गंगू लालच में आ गया और उसमें इनाम पाने की इतनी चाहत थी कि उसने कोतवाल को माता गुजरी की सूचना दे दी। माता गुजरी अपने दो छोटे साहिबजादों के साथ गिरफ्तार हो गई। 9 दिसंबर 1705 को जोरावर सिंह और फतेह सिंह को वजीर खान के सामने पेश किया गया। उसने उन्हें दान और सम्मान के वादे के साथ इस्लाम अपनाने की धमकी दी, लेकिन वे डटे रहे। अंततः मौत की सजा दी गई। नवाब शेर मोहम्मद खान ने विरोध किया कि निर्दोष बच्चों को नुकसान पहुंचाना अनुचित होगा और इस्लाम के खिलाफ भी होगा, लेकिन किसी ने एक न सुनी। दोनों बच्चों को दीवार में चुनवा दिया और माता गुजरी को किले से धकेल दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई।

लंबे समय से सिख समुदाय ने मांग की है कि 26 दिसंबर को छोटे साहेबजादे की याद में एक विशेष दिन के रूप में चिन्हित किया जाए। कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने तो यहां तक मांग की थी कि बाल दिवस 14 नवंबर के बजाय इसी दिन मनाया जाना चाहिए। पंजाब में 25 से 28 दिसंबर तक हर साल जोर मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें न केवल पंजाब, बल्कि अन्य राज्यों से भी लाखों लोग शामिल होते हैं। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC: BKID-0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

निर्मम बाजार भरोसे न छोड़ें किसान को

ऐसे वक्त पर, जबकि थोक मूल्य मुद्रास्फीति पिछले तीन दशकों में सबसे ऊंचे स्तर पर है, यह कृषि क्षेत्र के लिए विपत्ति की खबर है। एक सप्ताह के भीतर, देश में तीन विभिन्न जगहों पर तीन किसानों ने हताशा में अपनी खड़ी फसल अथवा उत्पाद को जला डाला है। उनकी फसलें अलग थीं, लेकिन जलाने का कारण एक ही है – उचित मूल्य न मिलना, जिससे उत्पादन की वास्तविक लागत पूरी हो।

11 दिसम्बर को आंध्र प्रदेश के कृषक चकालू वेंकटेसव्रलू ने करनूल कृषि उत्पाद मंडी में बेचने को लाये 25 बोरी प्याज (प्रत्येक में 50 किग्रा) को आग लगा दी, क्योंकि बोली महज 500 रुपये प्रति क्विंटल (5 रुपये प्रति किलो) लगी। यह पाकर कि इतनी कीमत से उपज–लागत, भाड़ा और मंडी फीस तक पूरी नहीं हो रही, हताश किसान ने पेट्रोल छिड़क कर अपना उत्पाद जला डाला।

चार दिन बाद आंध्र प्रदेश के धोने मंडल के मलिकार्जुन ने तीन एकड़ में लगी केले की फसल को जला दिया क्योंकि मंडी में भाव महज 2–3 रुपये प्रति किलो लग रहा था। उनका कहना है, केला तैयार करने में लागत आई 5 लाख रुपये, लेकिन तीसरी तुड़ाई होने तक कीमतें इतनी गिरीं कि हौसला टूट गया। बेचने पर महज 1.5 लाख रुपये मिलने थे, मायूसी में खड़ी फसल जलाने के सिवाय कोई चारा न रहा।

मध्य प्रदेश में देओली के कृषक शंकर सिरफिरा ने मंदसौर मंडी में बेचने को लाये 160 किग्रा लहसुन को आग लगा दी। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें उसने बताया कि लहसुन तैयार करने में कुल खर्च आया 2.5 लाख रुपये, पर मंडी में बोली लगी महज 1 लाख रुपये। इतने से तो बुवाई की कीमत तक नहीं निकलती। वह सरकार से केवल इतना चाहता है कि किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाए।

ये तीन दुखदायी प्रसंग, जिनका जिक्र मैं यहां कर रहा हूं और कदाचित लगे कि ये इक्का–दुक्का मामले हैं, परंतु असल में यह उस गहरे कृषि संकट का नमूनाभर है, जो आज

भारत के लिए यही समय है कि अपने बनाये खेती सुधारों का नया प्रारूप लागू कर सर्वप्रथम किसान को जीने लायक आमदनी सुनिश्चित करे।
– देविन्दर शर्मा

व्याप्त है। एक ही किस्म की फसल उगाने वाले लाखों किसान होते हैं और उनको भी मंडी में ठीक इसी किस्म के तगड़े झटके लगे होंगे, परंतु उनकी हताशा, लाचारी और नाउम्मीदी सुर्खियां नहीं बन पाई। जब कीमतें गिरती हैं तब अर्थशास्त्री इसके पीछे 'मांग–आपूर्ति वाला संतुलन सिद्धांत' गिनाते हैं, लेकिन इसकी एवज में इंसान पर क्या गुजरती है यह देखने में असफल रहते हैं। न केवल भारत बल्कि विश्वभर में मंडी कीमतों में भारी उतार–चढ़ावों ने किसानों की आजीविका को तहस–नहस किया है, आजिज़ आए किसान खेती छोड़ने को मजबूर होकर अपनी जमीनें बेच, शहरों में छोटे–मोटे काम कर जिंदा रहने हेतु पलायन करते हैं। यह कोई कम आफत नहीं है। अमेरिका को लें, वहां भी पिछले 150 साल से उपज की लगाई गई कीमत लगातार नीचे गई है, लिहाजा किसान धीरे–धीरे कृषि से किनारा कर गए। ग्रामीण अंचल में अजीब–सी असहजता व्याप्त है, न सिर्फ किसानों की आत्महत्या में इजाफा हुआ है बल्कि मानसिक संताप में वृद्धि हुई है। अमेरिका, जिसका असफल हुआ कृषि–सुधार मॉडल हम उधार ले रहे हैं, वहां 915725 किसान या उनके परिवार सदस्य देशभर के 'पलायन मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों' में अवसाद का इलाज करवा रहे हैं। जबकि कुल अमेरिकी आबादी का बमुश्किल 1.5 फीसदी कृषि क्षेत्र में बाकी बचा है। बेशक इस मानसिक स्थिति के पीछे कुछ अन्य जटिल कारण भी होंगे, जिनका सामना कृषक और कृषि–मजदूरों को करना पड़ रहा है, परंतु ऊपर–नीचे होती उपज की कीमतें सबसे बड़ा कारक है।

लेकिन नीति–नियंताओं और मीडिया, खासकर आर्थिक मामलों के पत्रकारों को उथल–पुथल तभी दिखाई देती है जब शेयर सूचकांक अचानक नीचे लुढ़के और स्टॉक मार्किट निचले

मुख्यधारा अर्थशास्त्रियों का बड़ा तबका स्टॉक मार्किट में गिरावट आने पर तो शोक मनाता है किंतु कृषि उत्पाद को मिलने वाली कम कीमतों का स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अंततः कृषि क्षेत्र में कर्ज बढ़ता है, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा किसान खेती छोड़ शहरों की ओर पलायन करते हैं।

स्तर पर बंद हो। यही वह सांचा है, जिसमें अर्थशास्त्र को ढाला गया है। मुख्यधारा अर्थशास्त्रियों का बड़ा तबका स्टॉक मार्किट में गिरावट आने पर तो शोक मनाता है किंतु कृषि उत्पाद को मिलने वाली कम कीमतों का स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अंततः कृषि क्षेत्र में कर्ज बढ़ता है, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा किसान खेती छोड़ शहरों की ओर पलायन करते हैं।

कोई हैरानी नहीं कि किसानों को हर साल 23 फसलों पर घोषित सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देकर न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के संभावित कदम के विरुद्ध पहले ही उनके खंजर निकल आए हैं। कुछ वरिष्ठ अर्थशास्त्री, जिन्हें खुद को हर महीने वेतन–महंगाई भत्ता जुड़कर – मिलने की गारंटी है, वे मुक्त कृषि मंडी व्यवस्था की पैरवी कर रहे हैं, उनके मुताबिक यह किसान को बेहतर कीमत खोजने में सहायक होगी। मैंने पहले भी अपने लेखों में बताया है कि अत्यधिक प्रचलित पदार्थ जैसे कि चॉकलेट और कॉफी के मामलों में लैटिन अमेरिका के कोको बीन उत्पादक और अफ्रीका में कॉफी बीन उगाने वाले करोड़ों किसान अत्यंत गरीबी की हालत में जी रहे हैं। केले की मूल्य–संवर्धन शृंखला से भी जिस तरह किसानों की आमदनी सिकुड़ी है, वह कम आंखें खोलने वाला नहीं है। एक अध्ययन बताता है कि यूरोपियन बाजारों में बिकने वाले लैटिन अमेरिकी केले के मूल उत्पादक तक उपभोक्ता द्वारा चुकाए गए प्रत्येक यूरो का महज 5–9 प्रतिशत पहुंचता है।

भोजन शृंखला में यह मूल उत्पादक ही है, जिसकी भूमिका सबसे कठिन है, वही कड़ी मेहनत करता है, फिर भी मूल्य संवर्धन शृंखला से प्राप्त आमदनी में उसके पल्ले न्यूनतम पड़ता है, लागत तक नहीं निकलती। यहां सनद रहे कि तीन महत्वपूर्ण व्यापारिक फसलों – कॉफी, केला और कोको पर न तो कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य है न ही किसी किस्म की कृषि उत्पाद खरीद मंडी व्यवस्था है, जिस पर हम इस स्थिति के लिए अंगुली उठा सकें। असल में ये प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाने वाली बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो किसानों के हिस्से का पैसा चूसकर अमीर हो रही हैं। ज़रा सोचें, यदि वैश्विक कृषि शृंखला ने उत्पादन लागत और उचित मुनाफा जोड़कर किसान को न्यूनतम खरीद मूल्य मिलना सुनिश्चित किया होता तो आज खेती भी एक मुनाफादायक व्यवसाय होती।

दोहन करने वाली मंडी शक्तियों को खुली छूट देने की बजाय, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय सुबूत निर्णायक रूप में सिद्ध करते हैं, भारत के लिए यही समय है कि अपने बनाये खेती सुधारों का नया प्रारूप लागू कर सर्वप्रथम किसान को जीने लायक आमदनी सुनिश्चित करे। देश की कुल जनसंख्या के लगभग 50 फीसदी हिस्से को आर्थिक रूप से व्यवहार्य एक आजीविका की गारंटी बनाना आर्थिक असमानता में व्याप्त बड़े अंतर को पाटने का एक उपाय होगा। ❑❑

लेखक कृषि एवं खाद्य मामलों के विशेषज्ञ हैं।

https://www.dainiktribuneonline.com/news/comment/do-not-leave-the-farmer-to-the-ruthless-market-78620/

गंगे! तव दर्शनात्मुक्तिः

गंगा कार्य योजना से लेकर नमामि गंगे तक के लगभग 35 सालों से अधिक के समय में गंगा में पानी बहुत बहा लेकिन गंगा सफाई के नाम पर चलाई गई सभी परियोजनाओं के नतीजे सिफर ही रहें। अपने दर्शन मात्र से मानव जीवन को मुक्ति प्रदान करने वाली मां गंगा आज भी अपनी मुक्ति के लिए एक अदद भगीरथ की राह देख रही है। गंगा में निरंतर कम हो रहे जल के कारण माघ मेला में कुंभ कल्पवासियों के लिए उच्च न्यायालय ने प्रतिदिन 3700 क्यूसिक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। न्यायालय का हालिया हस्तक्षेप बताता है कि गंगा मैली की मैली ही है।

यूं तो मां गंगा की चर्चा येन केन प्रकारेण वर्ष पर्यंत होती रहती है, किंतु माघ मास में प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेले के समय यह चर्चा मुखर होकर सामने आती है। गंगा में निरंतर कम हो रहे जल तथा बढ़ रहे प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए कल्पवासियों के स्नान हेतु गंगा में पर्याप्त स्वच्छ जल की उपलब्धता न होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जनहित याचिका दाखिल कर गंगा में पर्याप्त जल प्रवाहित करने तथा उसे प्रदूषण मुक्त किए जाने की मांग की गई, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिदिन 3700 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान यह तथ्य उभरकर सामने आया कि प्रयागराज में 16 नालों के पानी के शुद्धिकरण के लिए लगाए गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कई प्लांट बंद हो चुके है। नालों के माध्यम से शहर के अधिकांश मोहल्लों का पानी गंगा में जा रहा है। पानी की बायोरेमेडीएशन विधि से शुद्धिकरण करने की व्यवस्था बनाई गई है किंतु यह व्यवस्था भी कारगर नहीं है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और बायोरेमेडीएशन विधि से शुद्ध किया जाने वाला पानी बिना उपयुक्त शुद्धता प्राप्त किए गंगा में प्रवाहित हो रहा है।

"नमामि गंगे" वाक्य गंगा के प्रति व्यक्ति एवं राष्ट्र की सहज रूप से उसके प्रति प्रतिबद्धता सम्मान एवं आस्था व्यक्त करता है। वस्तुतः नमामि गंगे परियोजना का लक्ष्य गंगा को बचाना है।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

वर्ष 2014 में गंगा को प्रदूषण मुक्त कर उसे अविरल प्रवाह प्रदान करने एवं उसे मूर्त रूप देने के लिए नमामि गंगे नाम से एक स्वतंत्र मंत्रालय का गठन कर गंगा की मुक्ति, शुद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा ठोस कदम उठाने का कार्य किया गया है। नमामि गंगे का शाब्दिक अर्थ है–गंगा को नमस्कार करता हूं या गंगा को प्रणाम करता हूं। "नमामि गंगे" वाक्य गंगा के प्रति व्यक्ति एवं राष्ट्र की सहज रूप से उसके प्रति प्रतिबद्धता सम्मान एवं आस्था व्यक्त करता है। वस्तुतः नमामि गंगे परियोजना का लक्ष्य गंगा को बचाना है। इस योजना का अधिकारिक नाम एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना है। इस परियोजना हेतु वर्ष 2014–15 के बजट में 2037 करोड़ रुपए की आरंभिक राशि की व्यवस्था कर योजना को प्रारंभ किया गया था। परियोजना देश के 5 राज्यों तक फैली हुई है, जिनमें उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार तो पूर्णरूपेण गंगा नदी के प्रवाह पथ में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त सहायक नदियों के कारण हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली का भी कुछ हिस्सा इस परियोजना में सम्मिलित हैं।

इससे पहले गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का कार्य वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना के नाम से प्रारंभ हुआ था, जिसके द्वारा दूषित कचरा एवं मल–जल लेकर गंगा में मिलने वाले नालों की पहचान कर उन पर जल उपचार संयत्र लगाने की योजना प्रारंभ की गई थी और

मार्च 2000 में लगभग 451 करोड़ की धनराशि खर्च करने के बाद इस योजना को पूर्ण घोषित कर दिया गया था किंतु अब तक किए गए कार्य से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला।

पिछले दिनों राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 16 राज्यों में 34 नदियों की सफाई के लिए 5800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी और अपने हिस्से की 2500 करोड़ की धनराशि भी विभिन्न राज्यों को प्रदान किया था, जिससे गंगा में मिलने वाली उसकी सहायक नदियों की भी साफ–सफाई हो सके।

नमामि गंगे की घोषणा के बाद यह विश्वास बना था कि गंगा की सफाई होगी और गंगा अपने मूल स्वरूप को वापस प्राप्त कर लेगी किंतु इस दिशा में कोई ठोस कार्य न होने से दुखी गंगा पुत्र स्वामी सानंद ने गंगा की जीवन रक्षा हेतु आत्म–बलिदान कर दिया किंतु उसका भी कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया। ऋषि कल्प पर्यावरणविद सच्चे अर्थों में गंगा को मां मानने वाले स्वामी सानंद का जीवन गंगा रक्षा के नाम पर चला गया, किंतु गंगा के नाम पर राजनीति करने वाले और धन संग्रह कर अट्टालिकाएं बनाने वालों के कान पर जूं भी नहीं रेंगी और परिणाम अब भी वही है ढाक के तीन पात। पर्याप्त जल की उपलब्धता न होने के कारण गंगा उसी तरह प्रदूषित मल युक्त, मैली कुचैली, गंदे नाले के रूप में मरणासन्न अवस्था में जीर्ण–शीर्ण काया के साथ प्रवाहित हो रही है।

भारत सरकार ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण को कम करने उनके संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए 20000 करोड़ों रुपए के कुल बजट के साथ वर्ष 2014 में नमामि गंगे परियोजना का प्रारंभ किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी की स्वच्छता और पुनरुद्धार के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों यथा – घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट सहित प्रदूषण कम करने, नदी तट प्रबंधन, अविरल जल धारा, ग्रामीण स्वच्छता तथा जैव विविधता के संरक्षण आदि कार्यों को प्रमुख स्थान दिया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत 80235 करोड़ की स्वीकृत लागत से कुल 346 परियोजनाएं शुरू हुई थी जिनमें से 158 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। विश्व बैंक द्वारा 300 करोड़ रुपए की नमामि गंगे परियोजना को 45 अरब रूपये आगामी 5 वर्ष की अवधि के लिए मंजूर किया गया है। जिसके अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा 25000 करोड रुपए की 313 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। विश्व बैंक से प्राप्त इस ऋण का उपयोग नदी बेसिन में प्रदूषण को समाप्त करने एवं अवसंरचना परियोजनाओं के विकास और सुधार के लिए किया जाएगा। 45 अरब रुपए के इस ऋण में 11.34 अरब रुपए का उपयोग मेरठ आगरा तथा सहारनपुर में गंगा की सहायक नदियों पर तीन नए हाइब्रिड एन्यूटी प्रोजेक्ट बनाने तथा 1209 करोड़ रुपए बक्सर, मुंगेर, बेगूसराय में चल रही डिजाइन बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर (डीबीओटी) परियोजनाओं के लिए मंजूर किया गया है। गंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के एक अन्य प्रयास में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य पालन विभाग द्वारा विभिन्न प्रजातियों की लगभग 15 लाख मछलियों को नदी में छोड़ने की कार्य योजना बनाई गई है। इससे नदी में जैव विविधता को बनाए रखने और संरक्षित करने में मदद मिलेगी और नमामि गंगे अभियान के तहत इसकी सफाई सुनिश्चित होगी। मछलियों को पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक के करीब 12 जिलों गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़, कानपुर, हरदोई, बहराइच, बुलंदशहर, अमरोहा और बिजनौर में छोड़ा जाएगा। वाराणसी और गाजीपुर जिलों में गंगा में लगभग डेढ़ डेढ़ लाख मछलियां छोड़ी जाएगी, जो गंगा को स्वच्छ रखने के साथ–साथ जैव विविधता को भी नया आयाम देंगी।

जल अभाव का सामना कर रही आज गंगा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। समय रहते यदि उसे नहीं बचाया गया तो वह दिन दूर नहीं है जब गंगा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अपने उद्गम स्थल से पर्याप्त जल लेकर आगे बढ़ने वाली मां गंगा जल लुटेरों के माया जाल में फंस कर हिमालय की उपत्यका से निकलते निकलते अपने अगाध जल राशि से हाथ धो बैठती है और अपने आगोश में नाम मात्र का जल लेकर जीर्ण शीर्ण काया लेकर आगे बढ़ती है जहां अनेकानेक नदी नालों के माध्यम से आने वाला प्रदूषित जहर युक्त अपशिष्ट जल जीवन शक्ति के साथ–साथ उस में विद्यमान जैव विविधता को भी समाप्त करती है। गंगाजल का नहरों के माध्यम से अनियंत्रित अवशोषण, अन्य स्रोतों से पर्याप्त जलापूर्ति का अभाव, सनातन धर्म के अन्य प्रतीकों की भांति मां गंगा को भी लुप्त करने के लिए उद्यत है। कभी अपने स्पर्श, दर्शन एवं स्नान से जन–जन को मुक्ति प्रदान करने वाली गंगा मां आज स्वयं जलाभाव से मुक्ति प्रदान कर उसे जीवन देने हेतु भागीरथ की बाट जोह रही है, जो उसे जीवन देकर जीर्ण शीर्ण काया तथा प्रदूषित जहर युक्त जल से मुक्ति दिलाकर पुनः जन–जन की मुक्त दायिनी बना सके।

इस बीच खबर है कि केंद्र सरकार गंगा एवं सहायक नदियों की स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए अभियान को और गति प्रदान करने के लिए नमामि गंगे 2.0 परियोजना शुरू करने जा रही है। इस परियोजना का प्रारंभ आगामी कुछ महीनों में हो सकता है। ❑❑

स्वदेशी जागरण मंच ने दी चीनी निवेश को डंप करने की सलाह

स्वदेशी जागरण मंच ने भारत–चीन सीमा पर जारी गतिरोध के बीच भारतीय उद्योगों को चीनी निवेश को डंप करने की सलाह दी है। आईएएनएस से बातचीत करते हुए स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्विनी महाजन ने पेटीएम के विस्तार में चीन के निवेश की वजह से आ रही बाधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इसका संदेश बिल्कुल साफ और स्पष्ट है जो भारत की उन सभी कंपनियों और उद्योगों को समझ लेना चाहिए। जिनमें चीन की कंपनियों ने निवेश कर रखा है, अब इस तरह की कंपनियों के भारत में विस्तार की संभावना बहुत कम है।

दरअसल, डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम बीमा क्षेत्र की एक कंपनी को खरीद कर इस क्षेत्र में भी अपने पैर फैलाना चाहती थी लेकिन पेटीएम में चीन की कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को देखते हुए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 'इरडा' ने इस सौदे को मंजूरी नहीं दी है। बताया जा रहा है कि बीमा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भारत सरकार चीन को किसी भी रूप में प्रवेश नहीं करने देना चाहती है, इसलिए इस सौदे को मंजूरी नहीं दी गई है।

इरडा के इसी फैसले का हवाला देते हुए महाजन ने कहा कि चीनी कंपनियों का निवेश बीमा उद्योग क्षेत्र में पेटीएम के खुद के विस्तार के लिए एक बाधा बन गया है और इरडा के इस फैसले का संदेश बिल्कुल साफ है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने उद्योग का विस्तार करना चाहते हैं तो चीनी निवेश को डंप करना ही होगा।

श्री महाजन ने यह भी कहा कि चीन की किसी भी कंपनी द्वारा भारतीय कंपनियों में किसी भी प्रकार से किया गया निवेश वास्तव में चीन सरकार द्वारा किया गया ही निवेश होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन इन निवेशों के जरिए भारतीयों का डाटा एकत्र करते हैं जिनके दुरुपयोग की आशंका हमेशा बनी रहती है।

उन्होंने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच तो हमेशा से ही भारतीय कंपनियों में चीनी कंपनियों के निवेश का विरोध करता रहा है और यह अच्छी बात है कि अब सरकार भी इसके खतरे को समझने लगी है। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनियों का निवेश भारत और भारतीय लोगों के साथ–साथ भारतीय उद्योगों के लिए भी बड़ा खतरा है।

https://hindi.buzinessbytes.com/business/

सरकार अमेजन–फ्लिपकार्ट से वापस ले कारोबार की मंजूरी

स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने सरकार से ई–कॉमर्स कंपनियों... अमेजन और फ्लिपकार्ट से देश में कारोबार की अनुमति को तत्काल वापस लेने का अनुरोध करते हुए कहा है कि ये नियमों का खुलकर उल्लंघन कर रही हैं। एसजेएम के राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव में अमेजन, फ्लिपकार्ट और अन्य ई–कॉमर्स कंपनियों के परिचालन की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की भी मांग की गई है। उसका कहना है कि ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मानकों का खुला उल्लंघन कर कारोबार कर रही हैं।

एसजेएम के ग्वालियर में संपन्न 15वें राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के मुताबिक, बहु–ब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई पर कई पाबंदियां लगी हुई हैं और विदेशी कंपनियां यहां पर इंवेंट्री–आधारित मॉडल पर कारोबार नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा उन पर कीमतों में बहुत ज्यादा कमी करने की भी रोक है, लेकिन अमेजन और फ्लिपकार्ट इन प्रावधानों का खुला उल्लंघन कर रही हैं। स्वदेशी जागरण मंच ने दावा किया कि अमेजन अपने ई–कॉमर्स कारोबार के साथ ही परंपरागत खुदरा कारोबार में भी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। उसके मुताबिक, शॉपर्स स्टॉप और मोर रिटेल श्रृंखलाओं में अमेजन का निवेश इसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है।

मंच का मानना है कि ''अमेजन ने सिर्फ तीन साल में कानूनी एवं पेशेवर शुल्क पर 9,788 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इन मदों में दिखाई गई रकम भारत में अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल

की जा रही है। इससे साबित होता है कि ऐसी सभी ई–कॉमर्स कंपनियों ने गलत तरीके अपनाकर लाइसेंस एवं मंजूरियां हासिल की हैं।''

एसजेएम की राष्ट्रीय सभा ने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए कहा, ''इन कंपनियों को दी गई सभी मंजूरियां वापस ली जाएं और उनकी गतिविधियों को गैरकानूनी घोषित किया जाए। इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए और इनसे लाभान्वित होने वाले लोगों की पहचान होने तक उन्हें छुट्टी पर भेज दिया जाए। इसके साथ ही दोषी पाए जाने पर उन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए।''

https://www.livehindustan.com/business/story-rss-affiliated-swadeshi-jagran-manch-appeals-to-modi-government-to-withdraw-business-from-amazon-flipkart-5440898.html

क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध चाहता है स्वदेशी जागरण मंच

भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर जो भी आधिकारिक जानकारी है, उसके हिसाब से केंद्र सरकार अपने क्रिप्टोकरेंसी बिल (Cryptocurrency Bill) में इस आभासी दुनिया की आभासी करेंसी पर बैन लगाने के पक्ष में नहीं दिख रही है। हां पिछले महीने ये जानकारी आई थी कि सरकार देश में प्राइवेट क्रिप्टो पर बैन लगा देगी लेकिन उसके बाद चीजें काफी बदली हैं और संभावना है कि सरकार इसपर लचीला रुख अपना सकती है। लेकिन अभी भी कई हलकों में क्रिप्टो को बैन करने की मांगें उठ रही हैं।

स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने 'क्रिप्टो मुद्रा' पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया है। मंच ने केंद्र सरकार से इस मुद्रा की खरीद, बिक्री, निवेश और अन्य किसी भी लेन–देन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है ताकि देश में कोई भी इसका उपयोग नहीं कर सके। मंच ने अपनी 15वीं राष्ट्रीय सभा में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल मुद्रा से जुड़े मुद्दों संबंधी कानून को तेजी से तैयार किया जाए और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) को वैध मुद्रा माना जाए।

मंच की राष्ट्रीय सभा 24 दिसंबर को शुरू हुई थी। संगठन के सह–संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा, 'स्वदेशी जागरण मंच की 15वीं राष्ट्रीय सभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया जो कि ग्वालियर में संपन्न हुई।'

प्रस्ताव में मांग की गई, 'सरकार को भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रिप्टो मुद्रा की खरीद, बिक्री, निवेश और अन्य किसी भी लेन–देन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए।' इसमें यह भी मांग की गई कि जिन लोगों के पास ऐसी मुद्रा है, उन्हें संक्षिप्त समयावधि में इसे बदलने या बेचने का अवसर दिया जा सकता है।

https://ndtv.in/cryptocurrency/cryptocurrency-ban-in-india-rss-affiliated-organization-swadeshi-jagaran-manch-passes-proposal-2673162

विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम कर स्वदेशी को अपनाओः डा. महाजन

स्वदेशी जागरण मंच का उद्देश्य विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए देशवासियों को प्रेरित करना है। विदेशी कंपनियां बीज एवं दवाओं को पेटेंट कराकर हमारे संसाधनों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। विदेशियों की इन गलत नीतियों का पता चलने पर स्वदेशी जागरण मंच की 22 नवंबर 1991 को स्थापना की गई। यह बात एलएनआइपीई सभागार में स्वदेशी जागरण मंच की 15वीं राष्ट्रीय सभा को संबोधित करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक एवं अर्थशास्त्री डा. अश्वनी महाजन ने कही।शुभारंभ सत्र में दो पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। इनमें एक पुस्तक पुनः बनाएं भारत महान है, जिसकी लेखक डॉ. आर.के. मित्तल थे। दूसरी पुस्तक मनोनीत दलाल द्वारा लिखी गई स्वदेशी मूवमेंट आफ भारत है। इससे पूर्व स्वागत भाषण स्वागत भाषण राष्ट्रीय सभा के प्रबंध प्रमुख आरपी माहेश्वरी ने दिया।

अर्थशास्त्री डा. अश्वनी महाजन ने कहा कि भारत दवाओं का बड़ा बाजार है। विदेशी कंपनियां दवाओं को पेटेंट कराकर जनता को लूट रही हैं। स्वदेशी जागरण मंच ने इसका विरोध किया। इससे डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) को झुकना पड़ा और वर्ष 2005 में दवाओं के पेटेंट बनने में कई सुझाव स्वदेशी जागरण मंच के भी माने गए। स्वदेशी जागरण मंच के कोरोना वैक्सीन को पेटेंट मुक्त कराने के लिए

देशभर के 14 लाख लोगों ने हस्ताक्षर कराए। कोरोना ने हमें विदेशियों की तरह रहने की सीख दी है। मास्क, वेंटिलेटर और चिप हमें स्वयं ही बनाना है। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से प्रयास भी शुरू हो गए हैं।

विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद किरण चोपड़ा ने कहा कि स्वदेशी होना सुखी जीवन का मंत्र है। यह नारा बेरोजगारी का समाधान है। भारत ही एक ऐसा देश है, जिसने इस दुनिया को जीरो और दशमलव दिया है। भारतीय संस्कृति को कुचलने के लिए मुगलों और अंग्रेजों ने भरपूर प्रयास किए। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी गलत मानसिकताएं भारत में छोड़ गए। जिन्हें दूर करना जरूरी है। स्वदेशी मंत्र अपनाने से हमारा देश सोने की चिड़िया से सोने का शेर बन जाएगा। अगर हमें चीन को टक्कर देना है तो एमएसएमई के माध्यम से घर–घर में सामान तैयार करना होगा। जिसे देश और विदेश में निर्यात किया जा सके। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक आर सुंदरम ने कहा कि कोरोना के चलते पिछले दो वर्ष से हमें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी में हमने कई अपनों को खोया है। परंतु हमारी स्वदेशी जीवन पद्धति ने लोगों की जान ही नहीं बचाई अपितु एक नई ऊर्जा का संचार भी किया है। देश के 450 जिलों में हमारा काम खड़ा हो गया है। इसी क्रम में पर्यावरण पर अनंदा, परिवार प्रबोधन एवं नारी शक्ति पर अमिता पत्की, स्वास्थ्य एवं देशी चिकित्सा पर अरुण ओझा, डेमोग्राफिक डिविडेंड पर प्रो. राजकुमार मित्तल, कृषि पर ओपी चौधरी एवं विश्व व्यापार संगठन (डब्लयूटीओ) पर डा. अश्वनी महाजन ने अपने–अपने विचार रखे। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सहसरकार्यवाह एवं वरिष्ठ प्रचारक वी. भगैय्या, स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अरुण ओझा, मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डा. धनपतराम अग्रवाल, स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल, भारतीय मजदूर संघ के सज्जी नारायण, लघु उद्योग भारती के जितेंद्र गुप्त, अंकुर माहेश्वरी, डा. राजकुमार मित्तल, जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अविनाश तिवारी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एसके राव आदि उपस्थित थे। संचालन प्रांत संयोजक श्रीकांत बुधौलिया एवं आभार साकेत सिंह राठौड़ ने व्यक्त किया।

https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/gwalior-adopt-swadeshi-by-reducing-dependence-on-foreign-goods-dr-mahajan-7204407

स्वदेशी आंदोलन में शहीद हुए बाबू गेनू को दी श्रद्धांजलि

स्वदेशी जागरण मंच बटाला ने स्वदेशी आंदोलन में शहीद हुए बाबू गेनू जी के बलिदान दिवस पर उनको विनम्र

श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम नगर संयोजक कमलदीप लक्की की अगुवाई मे हुआ जिसका उद्देश्य बाबू गेनू जी की शहीदी को स्मरण करना था ।

कार्यक्रम की शुरुआत मे पहले बाबू गेनू जी को सभी के द्वारा श्रद्धांजलि देने के बाद विभाग संयोजक संदीप सलहोत्रा ने की। उन्होंने कहा की कैसे आज भारत मे स्वदेशी की धारणा जन–जन तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा जिस तरह व्यापार के बहाने आए अंग्रेजों ने हम पर शासन किया उसी तरह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वदेशी के माध्यम से राष्ट्रवादी सोच को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि जब देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है तो हमें स्वदेशी वस्तुओं को महत्व देना चाहिए।

इसके उपरांत स्वदेशी जागरण मंच बटाला के सोशल मिडिया प्रभारी मुनीश हांडा ने बाबू गेनू जी के जीवन के बारे मे बताया की कैसे 1908 मे महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव मे जन्मे एक बालक ने राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रेरित होकर मात्र 22 वर्ष की आयु में अपना बलिदान दे दिया। मुनीष हांडा ने अपनी वाणी को विराम देते हुए कहा कि हमें अपने शहीदों के बलिदानों से यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई है हमे इन शहीदों की बलिदानों को समय समय पर याद करना चाहिए ताकि नई पीढ़ी को भी शहीदों की महान गाथा पता चले। विनोद शर्मा को स्वदेशी जागरण मंच बटाला मे शामिल किया गया। इस अवसर पर नगर संयोजक कमलदीप लक्की, प्रोफेसर सुनील दत्त, परम कोहली, विनोद शर्मा, नीलम महाजन, गीता अग्रवाल, सीमा बटालवी, हरिओम जोशी, राज वर्मा, प्रदीप महाजन, राजन त्रेहन, अमनजोत सिंह वालिया, वीना सोनी, रीतिका महाजन, रमेश वर्मा, किरण चड्ढा, मधु महाजन, मानिक, गौतम, अनशुमन, विशाल, सुष्मा वर्मा आदि उपस्थित थे।

https://www.jagran.com/punjab/gurdaspur-swadeshi-jagran-manch-batala-paid-a-humble-tribute-on-the-martyrdom-day-of-babu-genu-ji-who-was-martyred-in-the-swadeshi-movement-22288163.html

9 सेक्टरों में बढ़े रोजगार

देश के नौ चुनिंदा क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा है। सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी

तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के अनुसार, जुलाई–सितंबर 2021 तिमाही में नौ चुनिंदा क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न कुल रोजगार 3.10 करोड़ था, जो अप्रैल–जून की अवधि की तुलना में 2 लाख अधिक है।

केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी तिमाही रोजगार सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल–जून 2021 में नौ चुनिंदा क्षेत्रों में कुल रोजगार संख्या 3.08 करोड़ थी। अप्रैल 2021 में देश में कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर के बाद घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों द्वारा लॉकडाउन प्रतिबंध हटाने के बाद यह वृद्धि आर्थिक गतिविधियों में सुधार को दिखाती है।

ये नौ क्षेत्र विनिर्माण, निर्माण, व्यापार (ट्रेड), परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, एकोमोडेशन और रेस्तरां, आईटी/बीपीओ और वित्तीय सेवाएं हैं, जो गैर–कृषि प्रतिष्ठानों में कुल रोजगार में बड़े हिस्सेदार हैं। यह सर्वे की दूसरी रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट अप्रैल–जून 2021 की आई थी। अध्ययन में 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया है।

रिपोर्ट जारी करते हुए, मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि इन अध्ययनों से सरकार को श्रमिकों के लिए साक्ष्य–आधारित नीति बनाने के अपने मिशन को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत जल्द ही कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बाहर निकलने में सक्षम होगा।

https://www.jagran.com/business/biz-india-employment-rises-in-nine-selected-sectors-to-more-than-3-crore-in-july-to-sep2021-22369066.html

चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 9.2 फीसद बढ़ने का अनुमान

2020–21 में 7.3 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 9.2 फीसद बढ़ने का अनुमान है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, मुख्य रूप से कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार की वजह से यह वृद्धि देखी जा सकती है। एनएसओ ने कहा 2021–22 के लिए राष्ट्रीय आय का पहला एडवांस अनुमान, 2020–21 में 7.3 फीसद के संकुचन की तुलना में 2021–22 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 9.2 फीसद वृद्धि होने का अनुमान है।

कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर से चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर पर 0.4 प्रतिशत का प्रतिकूल असर पड़ सकता है और इसके 4. 5 से 5.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है। साख निर्धारण एजेंसी इक्रा रेटिंग्स ने यह अनुमान लगाया। कोरोना वायरस के नये स्वरूप ओमीक्रोन के सामने आने के बाद से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

पिछले दिनों रेटिंग एजेंसी इकरा ने कहा था कि ओमिक्रोन की वजह से विभिन्न राज्यों में लगाए जा रहे प्रतिबंधों से चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी–मार्च, 2022) में आर्थिक रिकवरी प्रभवित हो सकती है। हालांकि इकरा ने ओमिक्रोन संकट के बावजूद भारत की जीडीपी विकास दर में कोई बदलाव नहीं किया। इकरा ने इस विकास दर को पहले की तरह ही नौ प्रतिशत के स्तर पर कायम रखा। इकरा का यह अनुमान अन्य रिसर्च एजेंसी के मुकाबले पहले से ही कम है।

आरबीआइ ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 9.5 प्रतिशत की दर से विकास का अनुमान लगाया। इकरा का अनुमान है कि कोरोना महामारी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2021–22 में 39.3 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता। इकरा के मुताबिक अगले साल मार्च तक भारत में 85–90 प्रतिशत व्यस्क वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके होंगे। बूस्टर डोज के साथ 15–18 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीन की घोषणा कर दी गई है। हालांकि यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि वैक्सीन कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन पर कितना असरदायक साबित होगी और उससे तीसरी लहर को किस हद तक दूर रख पाने में कामयाबी मिलती है। ❑❑

https://www.jagran.com/business/biz-india-gdp-is-estimated-to-rise-9-2-percent-in-the-ongoing-financial-year-22361169.html

15वीं राष्ट्रीय सभा

ग्वालियर (म.प्र.), 24–26 दिसंबर 2021

सचित्र झलक

रक्तदान शिविर, जमशेदपुर (झारखंड)

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 जनवरी 2022
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/1/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

15वीं राष्ट्रीय सभा

ग्वालियर (म.प्र.), 24–26 दिसंबर 2021

सचित्र झलक

प्रकाशक व मुद्रक ईश्वरदास महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादक: अजेय भारती